

खबर संक्षेप

31 जुलाई तक निजी नलकूप खनन प्रतिबंधित

मण्डला। कलेक्टर डॉ. सलोनो सिडाना द्वारा 31 जुलाई 2024 तक निजी तथा अशासकीय नलकूप खनन प्रतिबंधित कर दिया गया है। जारी आदेश में मण्डला जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रत्येक राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मशीनों जो अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेगी अथवा नलकूप खनन, बोरिंग का प्रयास कर रही मशीनों को जप्त कर पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराने का अधिकार होगा। आदेश में समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनके क्षेत्रान्तर्गत इस निमित्त अपरिहार्य प्रकरणों के लिए व अन्य प्रयोजनों हेतु उचित जांच के पश्चात अनुज्ञा देने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

वीष्म ऋतु के मौसम में धूप की तपन लू से रहें सावधान

मण्डला। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.सी. सरोते ने बताया कि वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु के दौरान बढ़ती धूप की तपन, लू से सावधानी एवं शरीर को मौसमी बीमारी से बचाव हेतु आमजन को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। घर से बाहर निकलने से पहले भरपेट पानी अवश्य पियें, धूप में जाते समय सूती कपड़े पहनें और सिर और कान को सूती कपड़े से ढककर रखें। धूप में घूमने वाले व्यक्ति नमक शक्करयुक्त कोई तरल पदार्थ या ओ.आर.एस. घोल का अधिक सेवन करें। नींबूपानी, केरी का पाना, शिकंजी या मठा अधिक से अधिक पियें, भरपेट भोजन करके ही बाहर निकलें, हमेशा ताजा भोजन, फल और सब्जियां खाएं। यथासंभव धूप में अधिक न निकलें। धूप में खाली पेट न निकलें शरीर में पानी की कमी न होने दें, खुबवार में शरीर का तापमान न बढ़ने दें, ठंडे पानी की पट्टी रखें, कुलर या कंडीशनर से धूप में एकदम न निकलें, मिर्च मसालेयुक्त भोजन न करें, बासी भोजन न खाएं। व्यक्ति को फौन छायादार जगह में लेटाएं, ढीले कपड़े पहनें, पेय पदार्थ जीवन रक्षक घोल ओ.आर.एस., कच्चे आम का पाना पिलाएं एवं ताप घटाने के लिये व्यक्ति के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखें एवं नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार लें।

सम्पूर्ण नर्मदा परिक्रमा के बराबर पुण्य देती है उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा

व्यास नारायण मंदिर से प्रारंभ हुई यात्रा



* महाराष्ट्र की गणना पद्धती में 15 दिनों का अंतर।

हरिभूमि न्यूज ॥ मण्डला

नर्मदा नारी मंडला में उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा विगत चार वर्ष से दो चरणों में की जा रही है। महिष्मति मां नर्मदा उत्तरवाहिनी परिक्रमा आयोजन समिति के तत्वावधान में उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा का दूसरा चरण 04 मई की प्रातः 5.30 बजे मंडला नगर के व्यास नारायण मंदिर में परिक्रमा के लिए संकल्प पूजन प्रारंभ किया गया। करीब 6.30 बजे तक संकल्प पूजन किया गया। इसके बाद उत्तरवाहिनी परिक्रमा प्रारंभ की गई। दो दिवसीय इस नर्मदा परिक्रमा यात्रा में शामिल कुछ श्रद्धालुओं ने किलाघाट से मां नर्मदा को नाव से पार कर और कुछ परिक्रमावासी झूला पुल से होते हुए पुरवा महाराजपुर पहुंचे। महाराजपुर



संगम से होते हुए घाघी के लिए नर्मदा परिक्रमा पदयात्रा प्रारंभ की गई। जानकारी अनुसार मंडला में मां नर्मदा के दक्षिण तट में संगम घाट से घाघी तक या उत्तर तट के अनुसार किले घाट से बबैहा तक करीब 21 किमी तक का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर है और चैत्र मास में की गई उत्तरवाहिनी नर्मदा की परिक्रमा को शाखा में संपूर्ण नर्मदा की परिक्रमा के बराबर पुण्यदायक बताया गया है। इसी को देखते हुए समिति द्वारा विगत चार वर्ष से उत्तरवाहिनी परिक्रमा का आयोजन कर रही है। बताया गया कि इस बार की परिक्रमा का आयोजन खासतौर पर महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं के लिए हुआ है। उनकी गणना पद्धति और हमारी गणना पद्धति में 15 दिनों का अंतर है इसलिए उनके अनुसार चैत्र मास अभी चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार आयोजित परिक्रमा में स्थानीय सहित देश भर के करीब 550 से अधिक श्रद्धालु परिक्रमा में शामिल हुए हैं।

व्यास नारायण मंदिर से प्रारंभ हुई परिक्रमा

शनिवार 04 मई को उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा के लिए व्यास नारायण मंदिर किलाघाट में सुबह 5.30 बजे श्रद्धालु एकत्रित हुए, जहां संकल्प पूजन कराया गया। सतखंडा घाट महाआरती से तट परिवर्तन सुबह करीब 6.30 बजे कराया गया। संगमघाट महाराजपुर में 7.30 बजे स्वल्पाहार के बाद यात्रा आगे बढ़ी। इसके बाद दादा धनीराम आश्रम में अल्पाहार परिक्रमावासियों को कराया गया। जिसके बाद यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कारीकोन तिराहा से होते हुए घाघा मार्ग में आगे बढ़ी। नर्मदा परिक्रमा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए मानादेई आश्रम में ठंडा पेयजल की व्यवस्था की गई। यात्रा के अगले चरण में सिलपुरा में कोटी घाट आश्रम में दोपहर 12 बजे भोजन प्रसादी यात्रा में शामिल सभी परिक्रमावासियों को कराया गया। यहां से आगे बढ़ते हुए यात्रा घाघा हाईस्कूल प्रांगण में पहुंचेगी। जहां मां नर्मदा संस्था आरती भजन कीर्तन रात्रि विश्राम किया जाएगा। इसके बाद 05 मई को सुबह 5.30 बजे घाघा से स्नान पुजन के बाद तट परिवर्तन किया जाएगा। जहां ग्वारी माध्यमिक शाला में बाल भोग स्वल्पाहार के बाद यात्रा प्रारम्भ होगी। यात्रा का फूलसागर तिराहा में स्वागत किया जाएगा। इसके बाद तिंदनी में फल वितरण होगा। यात्रा

के अगले पड़ाव में दोपहर करीब 12 बजे से राजपूत ढाबा कटरा में भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है, जहां सभी उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमावासी रुकेगी। यहां से करीब 03 बजे मंडला नगर भ्रमण करते हुए श्री व्यास नारायण राजराजेश्वरी मंदिर में जलाभिषेक किया जाएगा। प्रसाद वितरण के साथ परिक्रमा पूर्ण होगी।

तीन स्थान पर ही उत्तरवाहिनी है नर्मदा

आयोजन समिति ने यात्रा के संदर्भ में बताया कि मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से खंबात की खाड़ी तक मां नर्मदा का प्रवाह कभी उत्तर और कभी दक्षिण दिशा की ओर है। अमरकंटक से खंबात की खाड़ी तक के पूरे नर्मदा क्षेत्र में तीन स्थान ऐसे हैं। जहां मां नर्मदा उत्तरवाहिनी हुई हैं। इनमें से एक गुजरात में तिलकवाड़ा, दूसरा मंडला और तीसरा ओंकारेश्वर के पास का स्थान है। गुजरात के तिलकवाड़ा में उत्तरवाहिनी परिक्रमा वर्षों से की जा रही है।

परिक्रमावासियों के लिए तुसली काढ़ा की व्यवस्था

बताया गया कि मां नर्मदा उत्तरवाहिनी परिक्रमा के दूसरे चरण में भी जिले समेत प्रदेश और अन्य प्रदेशों के भक्तों का हुजूम रहा। दूसरे चरण की नर्मदा परिक्रमा में महाराष्ट्र के अधिकतर नर्मदा भक्त परिक्रमा करने पहुंचे। मां नर्मदा

उत्तरवाहिनी परिक्रमा पथ में परिक्रमा के प्रथम दिन महाराजपुर तीर्थ क्षेत्र त्रिवेणी संगम स्थल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाराजपुर शाखा द्वारा परिक्रमा वासियों के लिए तुलसी काढ़ा, चाय, बिस्किट की व्यवस्था की गई।

सिलपुरा के कोटी घाट में भोज की व्यवस्था

मां नर्मदा उत्तरवाहिनी परिक्रमा के प्रथम दिन परिक्रमा पथ मार्ग में भक्तों द्वारा परिक्रमावासियों के लिए जगह-जगह स्वल्पाहार और भोज की व्यवस्था की गई। इसी के अंतर्गत ग्राम सिलपुरा के कोटी घाट में भी उत्तरवाहिनी परिक्रमावासियों के लिए दोपहर के भोज की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही जिन श्रद्धालुओं का एकादशी व्रत था, उनके लिए फलाहार के साथ परिक्रमा में शामिल सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। आयोजित उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा में करीब 600 श्रद्धालुओं की सहभागिता है। मां नर्मदा की इस परिक्रमा में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस परिक्रमा में व्यवस्था की देखरेख आयोजन समिति के सदस्य राकेश शुक्ला, आनंद सोनी, सुधीर कांसकार, लालाराम, श्याम श्रीवास के साथ उनकी पूरी टीम की रही। इतने बड़े सफल आयोजन के लिए सभी ने आधार व्यक्त किया है।

मादा चीतल का मिला शव



हरिभूमि न्यूज ॥ मण्डला/अंजनिया

उम्र 39 वर्ष ग्राम जाराटोला से पूछताछ करने पर उन्होंने मृत चीतल के शव को घसीटकर नाले के अंदर सूखे पत्ते से ढककर छुपाना तथा एक राय होकर मांस खाने के उद्देश्य से काटने के लिए जयन्तलाल के घर से लोहे की छुरी 02 नग मौके पर लाकर छुपाना कबूल किया है। बाद विधिवत कार्यवाही कर आरोपीगण को माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी बैर के समक्ष पेश कर उपजेल बैर भेजा गया। एस के सिंह, क्षेत्र संचालक, सुश्री अमिता के वी उपसंचालक बफर एवं अजय ठाकुर सहा संचालक के कुशल मार्गदर्शन में गुरुदयाल साहू परिक्षेत्र अधिकारी गद्दी, कैलाश बामनिया परिक्षेत्र अधिकारी भैसानघाट, श्रीमति गुनन मरावी परिक्षेत्र सहायक गद्दी, सुशील कुमार अग्निहोत्री वनरक्षक खिरसाड़ी एवं हरिलाल धुवं वनरक्षक आमाटोला द्वारा उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया गया।

तीरंदाजी अकादमी जबलपुर में प्रवेश के लिए प्रतिभा चयन कार्यक्रम.....

मण्डला। खेल और युवा कल्याण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा संचालित म.प्र. राज्य तीरंदाजी अकादमी जबलपुर द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए तीरंदाजी की विभिन्न विधाओं में बालक/बालिकाओं के लिए प्रतिभा चयन कार्यक्रम 11 एवं 12 मई 2024 को प्रातः 09 बजे से सायं 05 बजे तक रानीताल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जबलपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतिभा चयन कार्यक्रम में जिले के बालक/बालिका खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। प्रतिभा चयन के समय बालक/बालिकाओं को आयु, मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड लेकर जाना अनिवार्य है। चयन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु श्री रिचार्ज सिंह सलारिया, मुख्य तकनीकी सलाहकार सहा प्रशिक्षक मो.न. 7875543884, श्री अपोक कुमार यादव, तीरंदाजी प्रशिक्षक मो.न. 7860292736 एवं सुश्री रॉय सिंह, तीरंदाजी प्रशिक्षक मो.न. 7544009240 पर सम्पर्क के साथ-साथ कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी इण्डोर स्टैडियम मण्डला से सम्पर्क किया जा सकता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय मण्डला में रक्तदान शिविर कार्यक्रम सम्पन्न

मण्डला। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मान0 एस0के0 जोशी के निर्देशन में एवं प्रवीण कुमार सिन्हा जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला के मार्गदर्शन में ब्लड बैंकों में खून की कमी के कारण जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त नहीं मिल पाने की परिस्थितियों पर विचार करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय, मण्डला द्वारा 04 मई 2024 को समय 10.30 बजे से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय मण्डला में रक्तदान शिविर का आयोजन माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा रिबिन कटिंग की जाकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। उक्त रक्तदान शिविर में कार्यालय प्रमुख असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री आशीष आनंद पाण्डे द्वारा रक्तदान किया जाकर रक्तदान कार्यक्रम का आरंभ किया गया, उसके पश्चात न्यायालयीन कर्मचारीगणों सहित कुल 09 व्यक्तियों द्वारा बारी-बारी से रक्तदान कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया। प्रवीण कुमार सिन्हा जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला ने आमजन को रक्तदान के लिए जागरूक करते हुए बताया कि यह कार्यक्रम म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार म0प्र0 में ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को दृष्टिगत रखते किया गया ताकि जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त मिल सके। उन्होंने रक्तदान की आवश्यकता के संबंध में बताते हुए लोगों से अनुरोध किया कि वे स्वयं एवं अपने निकट संबंधियों को रक्तदान हेतु प्रोत्साहित करे ताकि आवश्यकता होने पर किसी भी मरीज को रक्त उपलब्ध हो सके।



बम्हनी कॉलेज में अग्निवीर योजना की टी गई जानकारी

बम्हनीबंजर। शासकीय कला महाविद्यालय बम्हनी बंजर में स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा क्रीड़ा विभाग के द्वारा अग्निवीर योजना जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत डॉ.विवेक कुमार जायसवाल क्रीड़ा अधिकारी ने अग्निवीर योजना के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए उद्देश्य के बारे में बताया। डॉ.श्रीमति कुन्ती वराटे ने छात्र/छात्राओं को अग्निवीर चयन प्रक्रिया की जानकारी दी कौन-कौन सी अर्हताएं अर्जित करनी पड़ेगी, भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी की संपूर्ण जानकारी प्रदान की। एन.एस.एस.अधिकारी डॉ.के.पी.चन्द्रौल ने बताया की भारतीय सरकार ने तीनों नौसेना को भर्ती के लिये अग्निवीर योजना का प्रारंभ किया है इस भर्ती प्रक्रिया में छात्र/छात्राएं अपनी योग्यता के अनुरूप चयनित होकर महाविद्यालय को गौरवान्वित करेंगे। इस हेतु छात्रों को सेना में भर्ती होने के लिये प्रेरित किया। प्राचार्य डॉ.श्रीमति कल्पना नेमा ने कहा कि अग्निवीर केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें विद्यार्थी भारतीय सेनाओं में अपनी भागीदारी बढ़ा सकेंगे तथा देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभा सकेंगे। इस कार्यक्रम में श्री एस.पी.झारिया डॉ.रिचका पटेल, डॉ.रंजीत कुमार भालेकर, डॉ.मनीष कुमार लाजेवार एवं छात्र/छात्राये उपस्थित रहे।



विरासत


जल संरक्षण को लेकर उन्नत तकनीक जानते थे लोग।

उन्नत शाली रही है गौड़ परम्परा

* राजा ने यहां पर की थी बीहर माता देवी की स्थापना।

हरिभूमि न्यूज ॥ मण्डला

मंडला जिले में गौड़ वंश कालीन से गौड़ शासक अनेक जल संरक्षण के लिए अनेक कुएं तालाब बावड़ी झिरिया का उन्हीने निर्माण किया जिसका उदाहरण झिरिया सुभरिया का बना हुआ बावड़ी है यह दो मंजिल इमारत पर बना हुआ एक सुंदर मंदिर नमूने की आकृति दिया हुआ बावड़ी है जिसमें पूरे 12 माह पानी रहता है स्थानी लोगों का कथन के अनुसार जब एक बार तीन वर्षों तक पानी नहीं गिरने के कारण अकाल पड़ा था तब राजा ने यहां पर आकर बीहर माता देवी का स्थापना किया था। उस वर्ष बहुत पानी गिरा उसी के नाम से यह बावड़ी बनाई गई जो आज भी यहां 12 महीने जल रहता है मछली एवं कछुए पाले गए हुए हैं स्थानिक ग्रामवासी यहां पर बीहर



माता की पूजा करते हैं अपने शुभ काम को शुभारंभ करते हैं नवरात्रि के समय बड़ी तादाद में दर्शन के

लिए दूर-दूर से लोग यहां पर आकर अपनी मन्त मानते हैं तथा पूजा अर्चना करते हैं यह मंडला से मात्र 25 किलोमीटर दूर पिणरई रोड पर स्थित है।

पिछले वर्ष जिला प्रशासन के द्वारा जिले में जल संरक्षण की दृष्टि से मनरेगा की तहत इस बावड़ी का जीर्णोद्धार मनरेगा के माध्यम से इसको सुधार कर कराया गया था जो एक पर्यटन के दृष्टि से इस ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षा की गई जिसे आज लोग देख कर खुश होते हैं आज आवश्यक है सुधार कार्य करने की रंग पेनट करने की जिसे ग्रामपंचायत के माध्यम से किया जा सकता है आर के छतरी पर्यावरण विद नेअवगत कराया कि शीघ्र ही कलेक्टर से चर्चा कर पुरातत्व विभाग के द्वारा जिले की ऐतिहासिक विरासत कई स्थानों पर बिखरी हुई है जिसे एक संग्रह करके एक फोल्डर बनाई जाए ताकि जनमानस को जानकारी पुराने इतिहास की जानकारी आने वाली पीढी को हो सके।

अंजनिया में किसान जला रहे नरवाई, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान

हरिभूमि न्यूज ॥ मण्डला/अंजनिया

प्रतिबंध के बाद भी जिले के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के द्वारा धड़ल्ले से नरवाई जलाई जा रही है जिसमें प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं करने से किसानों के द्वारा नरवाई जलाना बंद नहीं किया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक नरवाई में आग लगाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत संबंधितों पर कार्यवाही का प्रावधान है। इसके लिए किसानों पर जुर्माने के लिए ढाई हजार से लेकर 15000 तक का नियम कृषि विभाग के द्वारा बनाया गया है। वही देखा जाए तो ये नरवाई जलाने से धुंआ निकलता है



जिससे वायुमंडल में प्रादुर्षण होता है। नरवाई में आग से भूमि में रहने वाले लाभकारी बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव जलकर नष्ट हो जाते हैं। खेतों की मिट्टी कड़क हो जाती, जिससे उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। नरवाई जलाने से ग्लोबल वार्मिंग में असर पड़ता है जो यह वायुमंडल के लिए

खतरनाक है। वही किसान नरवाई जलाने की जगह यदि स्ट्रारीपर यंत्र का उपयोग करे तो ज्यादा बेहतर है इस यंत्र से नरवाई से भूसा तैयार किया जा सकता है। इससे भूसे की मात्रा बढ़ेगी। अब देखा है कि नरवाई जला रहे किसानों पर प्रशासन क्या कुछ कार्यवाही करता है।

सभी प्रकार के फर्नीचर बनवाये सीधे फैक्ट्री आउटलेट से

उत्तम क्वालिटी में 0% व्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध।

त्रिवेणी लाइफस्टाइल | राम मंदिर, पड़वाव के पास, मंडला (म.प्र.) | 7648922000

खबर संक्षेप

अपने स्वार्थों को पूर्ण करने के लिये पेड़ों को किया जा रहा बहाल

गाडरवारा। शहर की सड़कों के किनारे और व्यस्ततम माने जाने वाले इलाकों में विभिन्न संस्थाओं ने पूर्व वर्षों में जो वृक्ष लगवाये थे वे भले छाया देने की स्थिति में आ गए हैं, किन्तु प्रशासन की अनदेखी से इन वृक्षों को प्रचार प्रसार का माध्यम बनाने का सिलसिला चल रहा है। बताया जाता है कि शहर की सड़कों के किनारे सीना तान खड़े वृक्षों पर कीलें ठोककर बड़े पोस्टर, बैनर, प्लेक्स लगाकर वृक्षों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। हरेभरे वृक्षों का उपयोग विज्ञापन बोर्डों के रूप में करने का विरोध करते हुए शहरवासियों का कहना है कि भारतीय संस्कृति में वृक्षों को देवता माना गया है, वृक्ष सजीव होते हैं, उन पर कीलें, ठोकना, व्यापारिक स्वार्थ के लिए उनका उपयोग करना उचित नहीं है। वृक्षों पर पोस्टर, बैनर लगाने से शहर का सौंदर्यकरण जहाँ प्रभावित होता है, वहीं बारिश के दिनों में आँधी, पानी से भी वृक्षों में लगे बड़े बड़े पोस्टर, बैनर दुर्घटनाओं का सबब भी बन सकते हैं तथा स्कूली बच्चों के लिए भी ये खतरनाक साबित हों सकते हैं? शहरवासियों ने नपा. से गुहार लगायी है कि जनहित में नगर के वृक्षों में लगे बैनर, पोस्टर हटवाये जाएँ, साथ ही मनचाहे ढंग से कहीं भी होर्डिंज लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाए।

शासकीय भवनों की दुर्दशा से हैरत का माहौल साँझेखाड़ा देश भर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुकूल स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, किन्तु हकीकत यह है कि इन दिनों शहर की स्वच्छता का मामला खतरें में पड़ा हुआ जान पड़ रहा है? यदि गौर किया जावे तो शासन के निर्देशानुसार शासकीय शालाओं की पुताई, मरम्मत की जानी थी, उसकी तरफ शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है साथ ही नगर में जो शासकीय भवन हैं उनके आस-पास गंदगी व्याप्त होने से लग रहा है कि शायद स्वच्छता अभियान शायद प्रशासन द्वारा पूरे प्लान से नहीं चलाया जा रहा है? विदित हो कि शासकीय भवनों के ईर्द गिर्द फैली गंदगी से नगर में हैरत का माहौल देखने में आ रहा है,

जागरूक नागरिकों का कहना है कि जो प्रशासन शासकीय भवनों की शोभा नहीं बढ़ा पा रहा है, उससे समूचे नगर का स्वच्छ बनाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है, उल्लेखनीय है कि वर्तमान में नगर के प्रमुख माने जाने वाले तालाब, जनपद कार्यालय क्षेत्र, तहसीलदार कार्यालय भवन के पास अधिकतर शासकीय शालाओं के भवनों के परिसरों में बिखरी गंदगी स्वच्छता अभियान की पोल खोल रही है और लोगों का मानना है कि चल रहे बारिश का मौसम इन भवनों को गंदगीमुक्त नहीं किए गए तो नगर में बीमारी फैलने से कोई नहीं रोक सकता है।

सालीचौका रेल्वे गेट पर आये दिन लग रहा जाम, स्कूली बच्चों सहित आमजन हो रहे परेशान

सालीचौका। इस समय देखा जा रहा है कि क्षेत्र में संचालित हो रही शुगर मिलों को गन्ना ले जाने वाले ट्रैक्टरा सहित अन्य वाहनों की धमाचौकड़ी के चलते रेल्वे गेट पर आये दिन जाम की स्थिति निर्मित होते हुए देखी जा रही है, जिसके चलते जहाँ स्कूली छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करने के लिए मजबूर तो होना ही पड़ रहा है साथ ही साथ स्थिति उस समय भयानक तब हो जाती है, जब काफी समय तक रेल्वे गेट बंद होने के कारण जब दोनों तरफ वाहनों की लम्बी लाइनें लग जाती और गेट खुलता है तो लोग अपने वाहनों को जल्द निकलने के चक्कर में अंदर घुसा देते हैं इस स्थिति में साईंकिलों से स्कूल जाने वाली छात्राओं को परेशान होना पड़ता है, इस दौरान अनेक मनचलों द्वारा उनके साथ अशोभनिय हरकतें करते हुए भी देखा जाता है? मगर इसके बाद भी देखा जाता है कि रेल्वे गेट से चंद कदम दूरी पर स्थित पुलिस चौकी के अधिकारियों द्वारा इस ओर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाने का परिणाम है कि स्कूली छात्राएँ परेशान होते हुए मुश्किलों के बीच से निकलने के लिए मजबूर देखी जा रही है।



कहीं ऐसा तो नहीं की सरकारी धन की होली की गुलाल का सभी के माथे पर रंगत चढ़ने के कारण साधी जा रही है चुप्पी..? देवरी पंचायत में 24 लाख की लागत से बनाये गये अमृत सरोवर तालाब निर्माण के नाम पर हुई गफलबाजी की सच्चाई उजागर होने के बाद जांच न होने से बड़े अधिकारियों की भूमिका पर खड़े हो रहे सवाल

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। सरकार द्वारा पंचायतों के विकास को लेकर जिस तरह से सरकारी धन खर्च किया जा रहा है उसके चलते यदि उस धन को अधिकारियों के द्वारा मात्र 75 प्रतिशत भी निष्ठा के साथ विकास कार्यों में लगाया जावे तो गांवों की सूरत बदलने में देर नहीं लगेगी। मगर जब जिम्मेदार अधिकारी ही पंचायतों में होने वाली गफलत बाजी में अपनी भागेदारी करने लगे तो फिर विकास कार्यों की कल्पना करना कहा तक संभव हो सकता है? इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि पंचायतों के विकास कार्य वहाँ के सरपंच सचिवों के माध्यम से कराये जाते हैं। मगर उन पर नजर रखने के लिये जहाँ जनपद स्तर से इंजीनियर होते हैं तो दूसरी ओर ब्लाक से लेकर जिला स्तर पर बैठे हुये अधिकारियों द्वारा उन विकास कार्यों का समय समय पर पहुंचकर निरीक्षण करते हुये गुणवत्ता पर पैनी नजर रखने की जिम्मेदारी होती है। यदि इसके बाद भी किसी विकास कार्य में गुणवत्ता को दर फ़िकार किया जाता है तो यह बात अपने आप ही उजागर होने से नहीं चूक पाती है कि इस गफलतबाजी में जनपद से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों की मिली भगत का परिणाम है? कुछ इसी प्रकार की सच्चाई इस समय जनपद पंचायत चीचली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देवरी ग्राम पिपरिया छीर टोला में एक साल पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत अमृत सरोवर तालाब में देखने मिलने से नहीं चूक पा रही है। हमारे भारत वर्ष द्वारा बीते हुये देश की आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मनावते हुये ग्रामीण क्षेत्रों के जल स्तर पर सुधार लाने के साथ साथ गर्मी के दिनों में मूक पशुओं को पीने का पानी उपलब्ध कराने की सोच के चलते चिन्हित की गई पंचायतों के लिये अमृत सरोवर तालाब के लिये राशि स्वीकृत की गई थी। सरकार की सोच थी कि इन तालाबों के निर्माण से जहाँ गांवों में जमीन के नीचे के जल स्तर में सुधार देखने मिलेगा वहीं दूसरी ओर मवेशियों के लिये पीने का पानी उपलब्ध हो जावेगा। मगर इन अमृत सरोवरों के निर्माण के



नाम पर पंचायतों द्वारा सरकारी धन की होली किस तरह खेली गई इस सच्चाई को चीचली जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरी की ग्राम पिपरिया छीर टोला में देखने मिल रही है जहा पर पंचायत द्वारा 24 लाख 84 हजार रूपया की राशि खर्च करते हुये बनाये गये इस अमृत सरोवर तालाब में इस समय एक बूंद पानी नजर आने की बात तो दूर सरकारी धन को खर्च करते हुये तालाब के लिये निर्धारित की भूमि क्षेत्र के अंदर पुराने पेड़ निर्माण के नाम पर पंचायत द्वारा की गई खुदाई की सच्चाई को अपने आप ही उजागर करते हुये देखे ज रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2022-2023 के तहत स्वीकृत किया गया था। वहीं दूसरी ओर कार्य की प्राक्कलित राशि 24 लाख 84 हजार थी। वहीं कार्य पूर्ण होने की तिथि 11 मई 2022 थी तथा कार्य पूर्ण होने की तिथि का मौके पर मौजूद बोर्ड में उल्लेख ही नहीं किया गया है। वहीं इस अमृत सरोवर तालाब के निर्माण में श्रम व सामग्री घटक 12 लाख 95 हजार तथा सामग्री 12 लाख 3 हजार खर्च होना दर्ज किया गया है। वहीं तालाब निर्माण में कर्मान्वयन एजेन्सी ग्राम पंचायत देवरी पंचाय सचिव तथा अन्य मद के रूप में 15 वॉिट की राशि 2 लाख 61 हजार रूपया खर्च होने का उल्लेख किया गया है। इस तरह पंचायत द्वारा बनाये गये तालाब की सच्चाई को अगर मौके पर देखी जावे तो जहाँ खुदाई की हाल इस तरह से

दुखाई दे रही है कि पूर्व में यहां पर बने हुये खेतों की मेडे जहाँ स्पष्ट रूप से नजर आने से नहीं चूक रही है। वहीं दूसरी ओर यहां पर पहले से खड़े हुये पेड़ों के टूट निर्माण कार्य में हुई गफलत बाजी का आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे है? इतना ही नहीं ग्रामीणों के कहना है यहां पर पहले से जंगली नाला निकला हुआ था और आस पास में सुरईयाँ थी उन्ही के वीचों बीच नाम सीमेन्ट की दीवार बनाते हुये इस तालाब का निर्माण किया गया है। वहीं तालाब निर्माण के दौरान पंचायत द्वारा बनाई गई दीवार भी अपना पहला जन्म दिन मनावने के पूर्व ही जिस तरह टूटते हुये देखी जा रही है वह संपूर्ण कार्य की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे है? वहीं दूसरी ओर एक ओर से निर्माण कार्य करने वाली एजेन्सी द्वारा तालाब के किनारे को पाटने के लिये कुछ पत्थर जरूर लगाये गये है। मगर यदि उन पत्थरों की सच्चाई देखी जावे तो यह प्रतीत होने से नहीं चूक रहा है कि यह पत्थर निश्चित तौर से जंगल की भूमि से वन विभाग की मिलीभगत के चलते अवैध खनन किया गया होगा? क्योंकि किसी भी संस्था को वन विभाग की भूमि से इस तरह पत्थर उठाने की अनुमति तो होती नहीं है फिर भी जंगल क्षेत्र में पैदा होने वाले यह पत्थर इस तालाब के निर्माण में उपयोग होना वन विभाग के अधिकारियों की भूमिका को भी सबालों के घेरे में लेने से नह चूक रहे है? इस तरह जनपद पंचायत चीचली के अंतर्गत आने वाली ग्राम



पंचायत देवरी के ग्राम पिपरिया छीर खेडा में पंचायत द्वारा सरकारी धन 24 लाख से भी अधिक की राशि खर्च करते हुये बनाये गये अमृत सरोवर तालाब में चल रहे गर्मी के मौसम में एक बूंद पानी नजर नहीं आ रहा है। इस तरह लाखों की लागत से बनाया गया यह तालाब कागजों में तो अमृत सरोवर दिखाई दे रहा है मगर मौके पर देखा जावे तो तालाब की जगह आज भी पहले की तरह तालाब निर्माण स्थल की भूमि पर पेड़ के टूट नजर आने से नहीं चूक रहे है? इस सच्चाई को हरिभूमि द्वारा अपने 21 फरवरी 2024 के अंक में प्रमुखता से उजागर किये जाने के बाद दो माह का समय बीते जाने के बाद भी किसी अधिकारी द्वारा जांच के नाम पर मौके पर पहुंचकर उसका अवलोकन करना तक उचित नहीं समझे जाने से जहाँ बड़े अधिकारियों की भूमिका पर सबाल खड़े होने से नहीं चूक पा रहे है..., वहीं दूसरी अमृत सरोवर निर्माण में हुई गफलत बाजी के चलते जिम्मेदारों की चुप्पी से यह प्रतीत होते हुये जान पड़ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी धन की होली की गुलाल की रंगत अधिकारियों के ऊपर भी चढ़ चुकी है? वहीं दूसरी ओर तालाब निर्माण की गुणवत्ता को लेकर पंचायत स्तर से लेकर जनपद व जिला स्तर के अधिकारियों की भूमिका को सबालों के घेरे में लाने से नहीं चूक रही है? सही मायने में देखा जावे तो मौके पर जहाँ तालाब का स्वरूप ही दिखाई नहीं दे रहा है। मगर इसके बाद

भी सरकारी रिकार्ड में इस अमृत सरोवर में भरे हुये पानी में अधिकारी गोता लगाने से नहीं चूक रहे है? क्योंकि जब सरकारी धन राशि को खर्च करते हुये पंचायत द्वारा कोई निर्माण कार्य किया जाता है तो उसकी देखरेख जनपद से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाती है। जब इन अधिकारियों द्वारा अपनी ओर से संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है तभी उस कार्य को पूर्ण माना जाता है? मगर पता नहीं 24 लाख से भी अधिक राशि से बने हुये इस तालाब को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अपनी ओर किस तरह का निरीक्षण किया गया होगा जिसके चलते बगैर पानी के तालाब में ग्रामीणजन गोते लगाने से नहीं चूक रहे है? क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पंचायत द्वारा बनाये गये इस तालाब की जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा निष्ठा के साथ जांच की गई तो निश्चित तौर से पंचायत स्तर से लेकर जनपद व जिला स्तर के अधिकारी बेनकाब होने से नहीं चूक पायेगे..? वहीं दूसरी ओर अमृत सरोवर निर्माण की सच्चाई जानने के लिये जब पंचायत स्तर के कर्मचारियों से चर्चा की गई तो अपना नाम उजागर न करने की सतर्त पर उनके द्वारा खुले शब्दों में यह कहने से नहीं चूक रहे है कि हमारे द्वारा जो तालाब बनाये गये है वह बड़े अधिकारियों की देख रेख में ही बनाया गया है? यदि कोई गड़बड़ी निकलती है तो हम अकेले ने थोड़ी खाये है सबकी साँझ.... बराबर की है।

गुरुकृपा के बिना जीवन अधूरा: स्वामी इंद्रदेव सरस्वती महाराज

नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की.., कथा आयोजन के दौरान कृष्ण जन्म पर झूमकर नाचे श्रद्धालु

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। नगर के शनि मंदिर के पास एनटीपीसी आडिटोरियम के सामने चल रहे सात दिवसीय संगीतमय श्रीमद भागवत कथा के आयोजन में जहाँ दिन प्रतिदिन धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती जा रही है तो दूसरी ओर महिलाओं में जिस तरह का उत्साह देखने मिल रहा है उसके चलते आयोजन स्थल पूर्ण रूप से गोकुल धाम का रूप लेते हुये देखा जा रहा है। इसी के चलते कथा के चौथे दिवस भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के दौरान जहाँ भक्तजन नंद के आनंद भव जय कन्हैया लाल के संगीत पर नृत्य करते हुये देखे गये। इस तरह शनिवार को कथा के चौथे दिन आरती के बाद कथा वाचक महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव सरस्वती महाराज ने गुरु की महिमा का वर्णन सुनाते हुये कहा कि हमारा जीवन गुरु के बिना अधूरा होता है, जिसके जीवन में गुरु कृपा नहीं है उसका जीवन असफल ही माना जाता है। यह बात जरूरी है कि हर व्यक्ति को जन्म देने वाले माता पिता होते हैं मगर हर व्यक्ति की जिन्दगी संभालने वाला गुरु होता है। इसलिये गुरु की महिमा को जानना दुर्लभ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि साधु एवं गुरु के चरणों में ही सभी धाम हैं। वहीं भागवत कथा के अमृत से जीवन का उद्धार हो जाता है, इस कलयुग में जसने भागवत कथा का आनंद नहीं लिया तो उसका जीवन असफल माना जाता है। श्रद्धा से आत्मा को परमात्मा का अंश बताते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति के मन के पीछे आत्मा शरीर से निकलकर भगवान के पास चली जाती है। उस दौरान उसके साथ कुछ नहीं जाता है जाते है तो त्रिफल उसके अच्छे कर्म और ईश्वर से जोड़ी गई आराधना ही मानव की नैया को भव सागर पर



कराती है। वहीं कथा वाचक महाराज जी ने नर्मदा जी का वर्णन सुनाते हुये कहा कि नर्मदा नदी पवित्र नदी है नदियों में सिर्फ नर्मदा जी की ही परिक्लमा की जाती है। आप लोग बड़े ही सौभाग्य शाली हो जिन्होंने माँ नर्मदाजी के क्षेत्र यानि की उनकी गोद में जन्म लेने के साथ उनके दर्शन करने का पुण्य अर्जित कर रहे हो। माँ नर्मदा पापहरनी है जिसके दर्शन मात्र से व्यक्तिवों के सारे कष्ट एवं दुःख दूर हो जाते हैं। इस कलयुग काल में अनेक प्रकार की इस तरह की चीजे देखने मिलेगी जिनकी कल्पना नहीं की गई होगी। अभी इतना भयानक कलयुग आ गया है कि रसोई में भोजन पकाने में भी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है इसीलिए हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन रहेगा। नगर के नामदेव परिवार द्वारा आयोजित किये जा रहे श्रीमद भागवत कथा के आयोजन में चौथे दिन शनिवार को महाराज इंद्रदेव (मथुरा) ने कहा कि प्रेम भगवान की उपासना का नाम है। इसे जो जान लिया, वह सब को जान लिया। इसान अगर चाहे तो भगवान को कितना भी समय दे सकता है, पर वे खुद ही नास्तिकता पैदा करते हैं। गोकुलामी तुलसीदास जी कहते हैं मेरा प्रेम केवल भगवान से रहेगा। जो सब छोड़कर भगवान का हो जाता है, उसे सब मिल जाता है। जो थोड़ा- थोड़ा सब से प्रेम करता है, उसे सब नहीं मिलता, न ही प्रेम।

क्योंकि प्रेम में भी एकाग्रता होना चाहिए। अगर आप थोड़ा उससे प्यार करोगे और थोड़ा किसी और से तो किसी एक को भी पता चलेगा तो आग लग जाएगी। कई से करोगे तो प्यार (प्रेम) भी दुखदाई है। इसलिये तुलसीदास ने बार-बार कहा है रामहु केवल प्रेम पियारा। तुलसीदास कहते हैं हम तो लिख कर चले जाएंगे दुनिया छोड़कर। जिसको जानना है वह जान था। तुलसीदास को घर से निकाल दिया था। लेकिन उन्हें राम के प्रेम पर अटूट विश्वास था। सो अपना जीवन सफल कर गए। कभी-कभी घर वालों का अपमान भी काम आता है। कथा के दौरान महाराज ने कहा आदर्श को अनुकूल-प्रतिकूल स्थिति समझ में आ जाए तो वह कितने भी प्रतिकूल स्थिति में हो, अनुकूल स्थिति उत्पन्न कर लेता है। यह सब ज्ञान के माध्यम से हो सकता है। जैसे हम फटे हुए दूध को भी ज्ञान के जरिए पनीर बना सकते हैं। अनुभव और ज्ञान हो तो सब अच्छा है। भगवान राम को कैकयी माता के वचन अनुसर वनवास मिलता है। उनके जीवन में कई प्रतिकूलता आ जाती है। फिर भी राम ने उसे अनुकूलता से लिया। उनके साथ लक्ष्मण और सीता भी अनुकूल होकर चलते रहे। निराशा नहीं हुए। इस तरह कथा के चौथे दिवस भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया।

घर बनाने के लिये उखाड़ फेंका मुख्य सड़क किनारे लगा हुआ सरकारी हेंड पंप



हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। जहां एक ओर सरकार द्वारा लोगों को पीने की जरूरत पूरी करने के लिये जहां तहां सरकारी नलों की स्थापना करते हुये हर वर्ष करोड़ों रूपया खर्च करने से नहीं चूक रही है। मगर जहां पुराने हेण्ड पंप लगे हुये उनकी अनदेखी का परिणाम है कि लोगों द्वारा उन्हें उखाड़कर अपने मकान बनाने से नहीं चूक रहे है। कुछ इसी प्रकार की सच्चाई दादा धूनी वालों की नगरी साँझेखाड़ा के वार्ड क्रमांक 6 अग्रसेन वार्ड के बंजारी मार्ग पर देखने मिल रही है जहां पर कुछ लोगों द्वारा अपना निजी आवास बनाने के लिये राज्य स्तरीय मार्ग के किनारे वर्षों पुराने सरकारी हेण्ड पंप को उखाड़ते हुये मकान बनाने की तैयारी कर डाली है। बताया जाता है कि गाडरवारा से रायसेन जिले को जोड़ने वाल मुख्य मार्ग यानि की स्टेट हाईवे क्रमांक 44 किनारे वर्षों पहले सरकारी हेण्ड पंप की आमजन को पीने का पानी उपलब्ध कराने की सोच के चलते स्थापना की गई थी। मगर यहां पर कुछ लोगों द्वारा अपना आवास का निर्माण करने के लिये हेण्ड पर को

उखाड़ते हुये जेबीसी मशीन के माध्यम से उस जगह को समतल कराते हुये भवन निर्माण की तैयारी कर डाली है। इस तरह सरकारी हेण्ड पंप को उखाड़े जाने के बाद भी संबंधित विभाग के अधिकारियों की चुप्पी सबालों को जन्म देने से नहीं चूक रही है? क्योंकि यह हेण्ड पंप जहां राज्य स्तरीय मार्ग के किनारे स्थापित होने के साथ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में आता है। इसके बाद भी हेण्ड पंप को उखाड़ने के साथ यहां की भूमि पर मशीन चलती रही और अधिकारियों द्वारा ध्यान देना तक उचित नहीं समझा गया। इस संबंध में जब स्थानीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी डाक्टर साहू से चर्चा की गई तो उनका कहना है कि यह मामला अभी ही मेरे संज्ञान में आया है हम दुखबा कर कार्यवाही करते है? अब देखा होगा कि सरकारी राशि से स्थापित हुआ यह हेण्ड पंप पुनः जीवत हो पाता है कि अधिकारियों की जनदेखी के चलते इसी तरह मृत अवस्था में पहुंचने के बाद उसका अंतिम संस्कार होकर रहेगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा।

म.प्र.शासन का लेख कराते हुए बगौर परमिट दौड़ रहे चार पाहिया वाहन पुलिस की संपत्ति को पहुंच रही क्षति, पुलिस बनी है बेखबर

हरिभूमि न्यूज/सालीचौका। आबादी के बढ़ते दबाव के चलते पूरे जिले में सड़कों पर दौड़ने वाले चार पहिया सवारी वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। इन वाहनों पर नियंत्रण के लिए नियम कायदे बने हैं, जिनका पालन कराने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की है मगर विभागीय सुस्तता के कारण सड़कों पर बगौर परमिट के अनेक टैक्सी धडल्ले से चल रहे हैं, कभी कभार कागजी खानापूर्ति के लिए एक दो वाहनों का चालान कर दिया जाता है बगैर टैक्सी परमिट के दौड़ने वाले वाहनों की संख्या क्षेत्र में हजारों में है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो यहां पर स्थित अनेक कंपनियों द्वारा अनेक वाहनों को किराया पर ले किया गया है, जिनके किराय से लागने के लिए भी परमिट होना जरूरी होता है मगर बिना टैक्सी परमिट के वाहन में सवारियों का परिवहन करना सर परिवहन नियमों की अवहेलना है? मगर अक्सर देखा जाता है कि शासकीय कार्यालयों में लगे हुए अनेक वाहनों में म.प्र. शासन का लेख कराते हुए उन्हे किराय के रूप में खुलेआम यातायात नियमों की धजियाँ उठाई जा रही है? एक तरफ जहां नियमों के परखच्चे उड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टैक्स के माध्यम से सरकार को मिलने वाले राजस्व खानापूर्ति के लिए एक दो वाहनों का चालान कर दिया जाता है बगैर टैक्सी परमिट के दौड़ने वाले वाहनों की संख्या क्षेत्र में हजारों में है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो यहां पर स्थित अनेक कंपनियों द्वारा अनेक वाहनों को किराया पर ले किया गया है, जिनके किराय से लागने के लिए भी परमिट होना जरूरी होता है मगर बिना टैक्सी परमिट के वाहन में सवारियों का परिवहन करना सर परिवहन नियमों की अवहेलना है? मगर अक्सर देखा जाता है कि शासकीय कार्यालयों में लगे हुए अनेक वाहनों में म.प्र. शासन का लेख कराते हुए उन्हे किराय के रूप में खुलेआम यातायात नियमों की धजियाँ उठाई जा रही है? एक तरफ जहां नियमों के परखच्चे उड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टैक्स के माध्यम से सरकार को मिलने वाले राजस्व खानापूर्ति के लिए एक दो वाहनों का चालान कर दिया जाता है बगैर टैक्सी परमिट के दौड़ने वाले वाहनों की संख्या क्षेत्र में हजारों में है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो यहां पर स्थित अनेक कंपनियों द्वारा अनेक वाहनों को किराया पर ले किया गया है, जिनके किराय से लागने के लिए भी परमिट होना जरूरी होता है मगर बिना टैक्सी परमिट के वाहन में सवारियों का परिवहन करना सर परिवहन नियमों की अवहेलना है? मगर अक्सर देखा जाता है कि शासकीय कार्यालयों में लगे हुए अनेक वाहनों में म.प्र. शासन का लेख कराते हुए उन्हे किराय के रूप में खुलेआम यातायात नियमों की धजियाँ उठाई जा रही है? एक तरफ जहां नियमों के परखच्चे उड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टैक्स के माध्यम से सरकार को मिलने वाले राजस्व खानापूर्ति के लिए एक दो वाहनों का चालान कर दिया जाता है बगैर टैक्सी परमिट के दौड़ने वाले वाहनों की संख्या क्षेत्र में हजारों में है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो यहां पर स्थित अनेक कंपनियों द्वारा अनेक वाहनों को किराया पर ले किया गया है, जिनके किराय से लागने के लिए भी परमिट होना जरूरी होता है मगर बिना टैक्सी परमिट के वाहन में सवारियों का परिवहन करना सर परिवहन नियमों की अवहेलना है? मगर अक्सर देखा जाता है कि शासकीय कार्यालयों में लगे हुए अनेक वाहनों में म.प्र. शासन का लेख कराते हुए उन्हे किराय के रूप में खुलेआम यातायात नियमों की धजियाँ उठाई जा रही है? एक तरफ जहां नियमों के परखच्चे उड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टैक्स के माध्यम से सरकार को मिलने वाले राजस्व खानापूर्ति के लिए एक दो वाहनों का चालान कर दिया जाता है बगैर टैक्सी परमिट के दौड़ने वाले वाहनों की संख्या क्षेत्र में हजारों में है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो यहां पर स्थित अनेक कंपनियों द्वारा अनेक वाहनों को किराया पर ले किया गया है, जिनके किराय से लागने के लिए भी परमिट होना जरूरी होता है मगर बिना टैक्सी परमिट के वाहन में सवारियों का परिवहन करना सर परिवहन नियमों की अवहेलना है? मगर अक्सर देखा जाता है कि शासकीय कार्यालयों में लगे हुए अनेक वाहनों में म.प्र. शासन का लेख कराते हुए उन्हे किराय के रूप में खुलेआम यातायात नियमों की धजियाँ उठाई जा रही है? एक तरफ जहां नियमों के परखच्चे उड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टैक्स के माध्यम से सरकार को मिलने वाले राजस्व खानापूर्ति के लिए एक दो वाहनों का चालान कर दिया जाता है बगैर टैक्सी परमिट के दौड़ने वाले वाहनों की संख्या क्षेत्र में हजारों में है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो यहां पर स्थित अनेक कंपनियों द्वारा अनेक वाहनों को किराया पर ले किया गया है, जिनके किराय से लागने के लिए भी परमिट होना जरूरी होता है मगर बिना टैक्सी परमिट के वाहन में सवारियों का परिवहन करना सर परिवहन नियमों की अवहेलना है? मगर अक्सर देखा जाता है कि शासकीय कार्यालयों में लगे हुए अनेक वाहनों में म.प्र. शासन का लेख कराते हुए उन्हे किराय के रूप में खुलेआम यातायात नियमों की धजियाँ उठाई जा रही है? एक तरफ जहां नियमों के परखच्चे उड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टैक्स के माध्यम से सरकार को मिलने वाले राजस्व खानापूर्ति के लिए एक दो वाहनों का चालान कर दिया जाता है बगैर टैक्सी परमिट के दौड़ने वाले वाहनों की संख्या क्षेत्र में हजारों में है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो यहां पर स्थित अनेक कंपनियों द्वारा अनेक वाहनों को किराया पर ले किया गया है, जिनके किराय से लागने के लिए भी परमिट होना जरूरी होता है मगर बिना टैक्सी परमिट के वाहन में सवारियों का परिवहन करना सर परिवहन नियमों की अवहेलना है? मगर अक्सर देखा जाता है कि शासकीय कार्यालयों में लगे हुए अनेक वाहनों में म.प्र. शासन का लेख कराते हुए उन्हे किराय के रूप में खुलेआम यातायात नियमों की धजियाँ उठाई जा रही है? एक तरफ जहां नियमों के परखच्चे उड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टैक्स के माध्यम से सरकार को मिलने वाले राजस्व खानापूर्ति के लिए एक दो वाहनों का चालान कर दिया जाता है बगैर टैक्सी परमिट के दौड़ने वाले वाहनों की संख्या क्षेत्र में हजारों में है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो यहां पर स्थित अनेक कंपनियों द्वारा अनेक वाहनों को किराया पर ले किया गया है, जिनके किराय से लागने के लिए भी परमिट होना जरूरी होता है मगर बिना टैक्सी परमिट के वाहन में सवारियों का परिवहन करना सर परिवहन नियमों की अवहेलना है? मगर अक्सर देखा जाता है कि शासकीय कार्यालयों में लगे हुए अनेक वाहनों में म.प्र. शासन का लेख कराते हुए उन्हे किराय के रूप में खुलेआम यातायात नियमों की धजियाँ उठाई जा रही है? एक तरफ जहां नियमों के परखच्चे उड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टैक्स के माध्यम से सरकार को मिलने वाले राजस्व खानापूर्ति के लिए एक दो वाहनों का चालान कर दिया जाता है बगैर टैक्सी परमिट के दौड़ने वाले वाहनों की संख्या क्षेत्र में हजारों में है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो यहां पर स्थित अनेक कंपनियों द्वारा अनेक वाहनों को किराया पर ले किया गया है, जिनके किराय से लागने के लिए भी परमिट होना जरूरी होता है मगर बिना टैक्सी परमिट के वाहन में सवारियों का परिवहन करना सर परिवहन नियमों की अवहेलना है? मगर अक्सर देखा जाता है कि शासकीय कार्यालयों में लगे हुए अनेक वाहनों में म.प्र. शासन का लेख कराते हुए उन्हे किराय के रूप में खुलेआम यातायात नियमों की धजियाँ उठाई जा रही है? एक तरफ जहां नियमों के परखच्चे उड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टैक्स के माध्यम से सरकार को मिलने वाले राजस्व खानापूर्ति के लिए एक दो वाहनों का चालान कर दिया जाता है बगैर टैक्सी परमिट के दौड़ने वाले वाहनों की संख्या क्षेत्र में हजारों में है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो यहां पर स्थित अनेक कंपनियों द्वारा अनेक वाहनों को किराया पर ले किया गया है, जिनके किराय से लागने के लिए भी परमिट होना जरूरी होता है मगर बिना टैक्सी परमिट के वाहन में सवारियों का परिवहन करना सर परिवहन नियमों की अवहेलना है? मगर अक्सर देखा जाता है कि शासकीय कार्यालयों में लगे हुए अनेक वाहनों में म.प्र. शासन का लेख कराते हुए उन्हे किराय के रूप में खुलेआम यातायात नियमों की धजियाँ उठाई जा रही है? एक तरफ जहां नियमों के परखच्चे उड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टैक्स के माध्यम से सरकार को मिलने वाले राजस्व खानापूर्ति के लिए एक दो वाहनों का चालान कर दिया जाता है बगैर टैक्सी परमिट के दौड़ने वाले वाहनों की संख्या क्षेत्र में हजारों में है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो यहां पर स्थित अनेक कंपनियों द्वारा अनेक वाहनों को किराया पर ले किया गया है, जिनके किराय से लागने के लिए भी परमिट होना जरूरी होता है मगर बिना टैक्सी परमिट के वाहन में सवारियों का परिवहन करना सर परिवहन नियमों की अवहेलना है? मगर अक्सर देखा जाता है कि शासकीय कार्यालयों में लगे हुए अनेक वाहनों में म.प्र. शासन का लेख कराते हुए उन्हे किराय के रूप में खुलेआम यातायात नियमों की धजियाँ उठाई जा रही है? एक तरफ जहां नियमों के परखच्चे उड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टैक्स के माध्यम से सरकार को मिलने वाले राजस्व खानापूर्ति के लिए एक दो वाहनों का चालान कर दिया जाता है बगैर टैक्सी परमिट के दौड़ने वाले वाहनों की संख्या क्षेत्र में हजारों में है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो यहां पर स्थित अनेक कंपनियों द्वारा अनेक वाहनों को किराया पर ले किया गया है, जिनके किराय से लागने के लिए भी परमिट होना जरूरी होता है मगर बिना टैक्सी परमिट के वाहन में सवारियों का परिवहन करना सर परिवहन नियमों की अवहेलना है? मगर अक्सर देखा जाता है कि शासकीय कार्यालयों में लगे हुए अनेक वाहनों में म.प्र. शासन का लेख कराते हुए उन्हे किराय के रूप में खुलेआम यातायात नियमों की धजियाँ उठाई जा रही है? एक तरफ जहां नियमों के परखच्चे उड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टैक्स के माध्यम से सरकार को मिलने वाले राजस्व खानापूर्ति के लिए एक दो वाहनों का चालान कर दिया जाता है बगैर टैक्सी परमिट के दौड़ने वाले वाहनों की संख्या क्षेत्र में हजारों में है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो यहां पर स्थित अनेक कंपनियों द्वारा अनेक वाहनों को किराया पर ले किया गया है, जिनके किराय से लागने के लिए भी परमिट होना जरूरी होता है मगर बिना टैक्सी परमिट के वाहन में सवारियों का परिवहन करना सर परिवहन नियमों की अवहेलना है? मगर अक्सर देखा जाता है कि शासकीय कार्यालयों में लगे हुए अनेक वाहनों में म.प्र. शासन का लेख कराते हुए उन्हे किराय के रूप में खुलेआम यातायात नियमों की धजियाँ उठाई जा रही है? एक तरफ जहां नियमों के परखच्चे उड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टैक्स के माध्यम से सरकार को मिलने वाले राजस्व खानापूर्ति के लिए एक दो वाहनों का चालान कर दिया जाता है बगैर टैक्सी परमिट के दौड़ने वाले वाहनों की संख्या क्षेत्र में हजारों में है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो यहां पर स्थित अनेक कंपनियों द्वारा अनेक वाहनों को किराया पर ले किया गया है, जिनके किराय से लागने के लिए भी परमिट होना जरूरी होता है मगर बिना टैक्सी परमिट के वाहन में सवारियों का परिवहन करना सर परिवहन नियमों की अवहेलना है? मगर अक्सर देखा जाता है कि शासकीय कार्यालयों में लगे हुए अनेक वाहनों में म.प्र. शासन का लेख कराते हुए उन्हे किराय के रूप में खुलेआम यातायात नियमों की धजियाँ उठाई जा रही है? एक तरफ जहां नियमों के परखच्चे उड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टैक्स के माध्यम से सरकार को मिलने वाले राजस्व खानापूर्ति के लिए एक दो वाहनों का चालान कर दिया जाता है बगैर टैक्सी परमिट के दौड़ने वाले वाहनों की संख्या क्षेत्र में हजारों में है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो यहां पर स्थित अनेक कंपनियों द्वारा अनेक वाहनों को किराया पर ले किया गया है, जिनके किराय से लागने के लिए भी परमिट होना जरूरी होता है मगर बिना टैक्सी परमिट के वाहन में सवारियों का परिवहन करना सर परिवहन नियमों की अवहेलना है? मगर अक्सर देखा जाता है कि शासकीय कार्यालयों में लगे हुए अनेक वाहनों में म.प्र. शासन का लेख कराते हुए उन्हे किराय के रूप में खुलेआम यातायात नियमों की धजियाँ उठाई जा रही है? एक तरफ जहां नियमों के परखच्चे उड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टैक्स के माध्यम से सरकार को मिलने वाले राजस्व खानापूर्ति के लिए एक दो वाहनों का चालान कर दिया जाता है बगैर टैक्सी परमिट के दौड़ने वाले वाहनों की संख्या क्षेत्र में हजारों में है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो यहां पर स्थित अनेक कंपनियों द्वारा अनेक वाहनों को किराया पर ले किया गया है, जिनके किराय से लागने के लिए भी परमिट होना जरूरी होता है मगर बिना टैक्सी परमिट के वाहन में सवारियों का परिवहन करना सर परिवहन नियमों की अवहेलना है? मगर अक्सर देखा जाता है कि शासकीय कार्यालयों में लगे हुए अनेक वाहनों में म.प्र. शासन का लेख कराते हुए उन्हे किराय के रूप में खुलेआम यातायात नियमों की धजियाँ उठाई जा रही है? एक तरफ जहां नियमों के परखच्चे उड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टैक्स के माध्यम से सरकार को मिलने वाले राजस्व खानापूर्ति के लिए एक दो वाहनों का चालान कर दिया जाता है बगैर टैक्सी परमिट के दौड़ने वाले वाहनों की संख्या क्षेत्र में हजारों में है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो यहां पर स्थित अनेक कंपनियों द्वारा अनेक वाहनों को किराया पर ले किया गया है, जिनके किराय से लागने के लिए भी परमिट होना जरूरी होता है मगर बिना टैक्सी परमिट के वाहन में सवारियों का परिवहन करना सर परिवहन नियमों की अवहेलना है? मगर अक्सर देखा जाता है कि शासकीय कार्यालयों में लगे हुए अनेक वाहनों में म.प्र. शासन का लेख कराते हुए उन्हे किराय के रूप में खुलेआम यातायात नियमों की धजियाँ उठाई जा रही है? एक तरफ जहां नियमों के परखच्चे उड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टैक्स के माध्यम से सरकार को मिलने वाले राजस्व खानापूर्ति के लिए एक दो वाहनों का चालान कर दिया जाता है बगैर टैक्सी परमिट के दौड़ने वाले वाहनों की संख्या क्षेत्र में हजारों में है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो यहां पर स्थित अनेक कंपनियों द्वारा अनेक वाहनों को किराया पर ले किया गया है, जिनके किराय से लागने के लिए भी परमिट होना जरूरी होता है मगर बिना टैक्सी परमिट के वाहन में सवारियों का परिवहन करना सर परिवहन नियमों की अवहेलना है? मगर अक्सर देखा जाता है कि शासकीय कार्यालयों में लगे हुए अनेक वाहनों में म.प्र. शासन का लेख कराते हुए उन्हे किराय के रूप में खुलेआम यातायात नियमों की धजियाँ उठाई जा रही है? एक तरफ जहां नियमों के परखच्चे उड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टैक्स के माध्यम से सरकार को मिलने वाले राजस्व खानापूर्ति के लिए एक दो वाहनों का चालान कर दिया जाता है बगैर टैक्सी परमिट के दौड़ने वाले वाहनों की संख्या क्षेत्र में हजारों में है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो यहां पर स्थित अनेक कंपनियों द्वारा अनेक वाहनों को किराया पर ले किया गया है, जिनके किराय से लागने के लिए भी परमिट होना जरूरी होता है मगर बिना टैक्सी परमिट के वाहन में सवारियों का परिवहन करना सर परिवहन नियमों की अवहेलना है? मगर अक्सर देखा जाता है कि शासकीय कार्यालयों में लगे हुए अनेक वाहनों में म.प्र. शासन का लेख कराते हुए उन्हे किराय के रूप में खुलेआम यातायात नियमों की धजियाँ उठाई जा रही है? एक तरफ जहां नियमों के परखच्चे उड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टैक्स के माध्यम

खबर संक्षेप

अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरी मोटर सायकिल, 2 की मौत 1 घायल

अनूपपुर। कटनी से चांडिल जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 में आए दिन कोई न कोई हादसा हो ही जाता है जिले के अंतिम छोर पर स्थित अमलाई थाना क्षेत्र के ग्राम बट्टरा में सोन नदी के पुल के ऊपर अनियंत्रित बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें दो की मौके पर मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई गई है। घटना के संदर्भ में यह जानकारी सामने आई कि अनूपपुर से अपने घर लौट रहे थे बाइक में दुर्गेश और उसकी 13 साल की बच्ची लल्लु बाई तथा महिला सवारा थी। दुर्घटना इतनी हृदय विधायक थी कि दुर्गेश और लल्लु की मौत मौके पर ही हो गई। स्थानीय लोगों ने तीनों को अनूपपुर जिला चिकित्सालय भेजा जहां पर चिकित्सकों ने दुर्गेश और 13 साल की बच्ची लल्लु बाई की मौत की पुष्टि की वहीं गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज चल रहा है बहरहाल उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है।

तीन दिन से लापता शिक्षक का गिला शव अनूपपुर। जिले के राजेन्द्रग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत कॉलेज तिराहा के पास 1 मई को अज्ञात शव देखे जाने की सूचना राहगीरों द्वारा पुलिस को दी गई। जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त हेतु पूछताछ की गई। जहां पूछताछ में मृतक की पहचान अर्जुन सिंह पिता मिट्टू सिंह परस्ते उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम लाखौरा के रूप में की गई। जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा तैयार करते हुए शव को पीएम हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी हुई है। परिजनों ने बताया कि मृतक अर्जुन सिंह परस्ते जो कि शासकीय प्राथमिक विद्यालय लाखौरा में शिक्षक है, जो तीन दिन पहले घर से निकले थे और वापस नहीं आये।

समर कैंप के तहत 18 कैंपों में युवाओं को दिया गया खेल प्रशिक्षण

अनूपपुर। कलेक्टर आशीष वशिष्ठ एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा के निदेशन में शनिवार को जिले के 18 खेल प्रान्णों में समर कैंप का आयोजन किया गया। हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारे शरीर का स्वस्थ होना है शरीर स्वस्थ रहे तभी हम संपूर्ण कार्य बिना रुके कर सकते हैं। बच्चों का संपूर्ण विकास हो और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल कूद, योग आदि बहुत जरूरी है। समर कैंप में चित्रकला, कविता, लेखन आदि कई प्रकार की विधाओं के साथ वॉलीबॉल, फुटबाल, एथलेटिक्स, योग, पौटी, हैंडबाल आदि कई विधाओं को सम्मिलित कर युवाओं एवं बच्चों को ग्रीष्म कालीन खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अनूपपुर जिले में युवा कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कैंप का आयोजन सुबह और शाम दोनो पालियों में समय चक्र तय कर कैंप आयोजित किया जा रहा है। कैंप में सभी खिलाड़ी खेल की बागियों को बड़े मन के साथ सीख रहे हैं। गौरतलब है कि क्रीड़ाप्रभारी, खेल शिक्षक, उच्चतर खिलाड़ी सहित अन्य लोगों के सहयोग से कैंप का आयोजन 1 मई से किया जा रहा है।

अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में मेदभाव करने का लगा आरोप

मुख्य मार्ग के किनारे से हटायें गये अतिक्रमण, कई जगह बनी विवाद की स्थिति



डिंडोरी। जिला मुख्यालय में शनिवार को मुख्यमार्ग किनारे स्थित अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान कई जगहों पर विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई। राजस्व, पुलिस और नगर परिषद का अमला संयुक्त रूप से कार्यवाही में शामिल रहा है। जनकारी के मुताबिक अतिक्रमण हटाने के लिए दो दल का गठन किया गया था, इनमें एक दल द्वारा कलेक्टर तिराहा से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुबह शुरू की गई। इसी तरह दूसरी टीम ने द्वारा कॉलेज तिराहा से बेजा कब्जा हटाने की मुहिम को अंजाम

दिया। मुख्य मार्ग के दोनों तरफ बीच सड़क से निर्धारित किए गए स्थान के अतिक्रमण जिनमें चाय, पान की दुकान, टीन शेड चबूतरा को जेसीबी से हटाया गया अतिक्रमण हटाने के दौरान तहसीलदार पंकज नयन तिवारी, नायब तहसीलदार शशांक शेंडे, कोतवाली प्रभारी अनुराग जामदार, यातायात प्रभारी सुभाष उडके, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारियों सहित शाहपुर, कोतवाली समनापुर, बिछिया, विक्रमपुर सहित अन्य थाना चौकी का बल भी भारी

संख्या में मौजूद रहा। गौरतलब है कि पूर्व में अतिक्रमण हटाने के लिए मार्किंग भी की गई थी इसके साथ ही मुनादी भी नगर परिषद द्वारा कराई गई थी।

-40 फुट के दायरे में हटायें अतिक्रमण
यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने की मंशा के तहत की गई कार्यवाही के पूर्व नगर परिषद ने रोड किनारे मार्किंग भी की थी। मुख्यमार्ग के बीच से 40 फीट के दायरे को अतिक्रमण की श्रेणी में रखा गया

और इसी नाप के अनुसार कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। हालांकि इसके बावजूद कुछ जगह स्थाई अतिक्रमण होने के चलते कार्यवाही नहीं हो सकी है। जिसके कारण प्रशासन पर भेदभाव करने के आरोप भी लगे हैं।

-धमकी भी मिली
शनिवार को की गई कार्यवाही के दौरान राजस्व अमले को एक अतिक्रमण करने वाले ने धमकी भी दी है, जिसकी लिखित शिकायत राजस्व निरीक्षक ने कोतवाली पुलिस से की है।

गुणवत्ता निरीक्षक पर स्व-सहायता समूह ने लगाये राशि लेने के आरोप

डिण्डोरी। गुणवत्ता निरीक्षक आनन्द मौर्य पर एक के बाद एक स्व सहायता समूह से राशि वसूलने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन प्रशासन की मेहरबानी या आनन्द मौर्य का रसूख जिसके चलते कार्यवाही की दिशा बदल जाती है और आरोप निराधार साबित होते हैं। लगातार शिकायतों के बाद कार्यवाही न होने से प्रशासन पर भी दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लग रहे हैं। पूर्व में ग्रामीणों द्वारा एक उपयंत्र पर तकनीकी स्वीकृति के एवज में राशि मांगने का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज करायी गई थी जिस पर सज्जन लेते हुए उपयंत्र को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए सविदा सेवा समाप्त कर दी गई थी वहीं जिला पंचायत में पदस्थ परियोजना अधिकारी मनरेगा पर पदीय दायित्वों में लापरवाही के आरोप लगे थे जिनके विरुद्ध भी कार्यवाही करते हुए पद से पृथक कर दिया गया था। लेकिन गुणवत्ता निरीक्षक पर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं तथा समूह की सदस्यों द्वारा 20 मार्च 24 को रानी अवंती बाई के शहरादर दिवस में शामिल होने बालपुर पहुंचे मुख्यमंत्री तक को शिकायत की गई लेकिन शिकायत

के बाद मामले की दिशा और दशा कैसे बदली यह चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि शिकायत के बाद प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ म.प्र. ने समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर को मिथ्याहीन बतलाते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन नहीं देने को बात कह कर शिकायतकर्ता समूह को सदस्य को ही कटघरे में खड़ा करते हुए संघ से निष्कासित सदस्य बतलाया और प्रांतीय महिला स्व-सहायता समूह ने क्लीन चिट देते हुए 22 मार्च को मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में शिकायत को बेबुनियाद करार दिया। लेकिन इसके एक दिन बाद ही 23 मार्च 24 को कलेक्टर के भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत कमरासोदा के ग्राम लालपुर के टाकूर देव स्व सहायता समूह की अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा शाला में माध्यम भोजन संचालन हेतु समूह परिवर्तन के लिए 5 हजार रूपये गुणवत्ता निरीक्षक आनन्द मौर्या पर लेने के आरोप लगाये थे जिस पर कार्यवाही करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डिण्डोरी के द्वारा आनन्द मौर्या को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था

शासकीय महाविद्यालय बजाग में एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

कार्यशाला में अग्निवीर चयन परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के चयन की दी गई जानकारी



डिंडोरी। शासकीय महाविद्यालय बजाग में शुक्रवार को महाविद्यालय के सभागार में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के तत्वाधान में अग्निवीर भर्ती के क्षेत्र में रोजगार के अवसर अंतर्गत शारीरिक दक्षता एवं लिखित चयन परीक्षा की तैयारी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आदि विषयों पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. मनोज कुमार कुशावाह के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया स तत्पश्चात् कार्यशाला की शुरुआत में श्री अरविन्द डेरियारा द्वारा छात्र - छात्राओं को अग्निवीर भर्ती परीक्षा में चयनित होने हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी एवं सफलता प्राप्त करने के लिए मौखिक तथा प्रायोगिक व्याख्यान स्वरूप विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया स तत्पश्चात् स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉ. दुर्गाप्रसाद गुप्ता द्वारा प्रकोष्ठ की योजनाओं के बारे में बताते हुए अग्निवीर भर्ती परीक्षा की पृष्ठभूमि एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होने हेतु छात्र-छात्राओं को विशेष मार्गदर्शन प्रदान कर प्रेरित किया गया तथा कार्यशाला के अंत में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. मनोज कुमार कुशावाह द्वारा

अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए छात्र - छात्राओं को अग्निवीर परीक्षा में चयनित होने हेतु विशेष मार्गदर्शन प्रदान करते हुए उन्होंने अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें राज्य सेवा परीक्षा, पुलिस, वनरक्षक, स्कूल शिक्षा समेत अन्य सभी विभागों द्वारा आयोजित चयन परीक्षा में सफलता अर्जित करने के मूल मंत्र बतलाए स उन्होंने मुख्य रूप से राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने के तरीकों को भी बतलाया और अंत में सभी छात्र - छात्राओं को अग्निवीर समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने हेतु परीक्षा उपयोगी विभिन्न पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का प्रदर्शन करते हुए छात्रों की सफलता के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित किया स उक्त कार्यशाला में श्री सतीश कुमार वर्मा एवं डॉ. नंदिनी साहू ने भी अपने विचार व्यक्त किए स मंच संचालन स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉ. दुर्गाप्रसाद गुप्ता द्वारा किया गया स कार्यशाला में महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं ने बह-चढ़कर भाग लिया और लाभ प्राप्त किया स इस दौरान महाविद्यालय के समस्त अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति रही।

जनपद पंचायत स्तर पर 9 केंद्रों पर आयोजित हुआ रेवा स्वास्थ्य कैंप

डिंडोरी। कलेक्टर विकास मिश्रा के निदेशन में स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, आयुष विभाग, पशुपालन विभाग के आपसी सहयोग से स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में किया जा रहा जहां स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव के कारण कुपोषण के मामले अधिक हैं, स्वास्थ्य कैंप कुपोषण के प्रति एक जग है, जिसका उद्देश्य एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। स्वास्थ्य कैंप में गर्भवती महिला, कुपोषित बच्चे, स्तनपान कराने वाली माताएँ, किशोरियों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए एक सामूहिक प्रयास किया जा रहा है। आयु के अनुसार बच्चों में शारीरिक और मानसिक स्तर का विकास ना होना ही कुपोषण है, कुपोषण का प्रमुख कारण स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का ना होना है, वहीं कुपोषण से मुक्ति का उपाय सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।

कैंप के तहत कुपोषण से सुपोषण के लिए संयुक्त प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके तहत सबसे पहले कुपोषण से प्रभावित लोगों को चिन्हित किया जाता है, जिसके लिए कुपोषण के विभिन्न स्तरों पर लोगों की पहचान की जाती है, गंभीर कुपोषित लोगों को आवश्यक उपचार उपलब्ध करवाया जाता है, और आवश्यकता अनुसार एनआरसी केंद्रों में भेजा जाता है। बच्चों में कुपोषण की जांच उनके आदर्श वजन और ऊंचाई के मानन के आधार पर की जाती है, वहीं किशोरियों, महिलाओं, धात्री माताओं की जाँच के लिए एनीमिया, रक्त, एवं अन्य जाँच की जाती है। जिसके आधार पर उचित उपचार दिया जाता है। कैंप के दौरान ग्रामीणों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करने के लिए पोथीक मठरी, दाल चावल खिचड़ी, अंकुरित अनाज, चकली, कोदो, महुआ, मक्का कचरिया,

और फलों का वितरण किया जा रहा है। कोदो एक शुगरफ्री मिलेट है जिसके सेवन से धात्री माताओं और नवजात शिशुओं को लाभप्रद होता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए पंचरंगी थाली की सलाह दी जाती है और उपलब्ध कराई जाती है, पंचरंगा में 5 रंगों के आधार पर भोजन की थाली में शामिल करने के लिए इंगित करता है, जिनमें सफेद रंग रोटी या चावल, पीला रंग दाल, लाल रंग टमाटर, हरा रंग भाजी एवं अन्य हरी सब्जी, और नारंगी रंग खट्टे फलों को प्रदर्शित करता है। रोटी या चावल से गर्बाईडेट, दालों से प्रोटीन, हरी भाजीयों से मल्टीविटामिन, खट्टे फलों से विटामिन सी की पूर्ति होती है, इस प्रकार पंचरंगी थाली गर्भवती महिला और शिशुओं के लिए एक सम्पूर्ण पोषण प्रदान करती है, जोकि कुपोषण से मुक्ति

पाने में मददगार साबित हो रही है। गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और आवश्यक सावधानी की सलाह दी गयी, वहीं नवजात बच्चों के लिए उचित आहार की जानकारी भी माताओं को स्वास्थ्य कैंप में दी जा रही है। उक्त रेवा केम्प के आयोजन नगर पंचायत डिंडोरी के वार्ड नम्बर 10 एवं 07 में, नगर पंचायत शहरपुरा के वार्ड नम्बर 08 एवं 09 में, जनपद पंचायत अमरपुर के ग्राम खुदूपानी में, जनपद पंचायत बजाग के ग्राम लालपुर बैगाटोला में, जनपद पंचायत डिंडोरी के ग्राम सारंगपुर पड़रिया में, जनपद पंचायत करंजिया के ग्राम कुटेलीदादर में, जनपद पंचायत मेंदवानी के ग्राम बालपुर में, जनपद पंचायत समनापुर के ग्राम मोहती में और जनपद पंचायत शहरपुरा के ग्राम छीरपानी में आयोजित किया गया।

कलेक्टर ने शहरपुरा में अधिकारियों की ली बैठक

डिंडोरी। कलेक्टर विकास मिश्रा ने तहसील मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक ली, बैठक के मुख्य बिंदु पेयजल, पौधरोपण, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, स्वास्थ्य, शिक्षा, सौम्य हेल्पलाइन और प्रचलित कार्य रहे। उक्त बैठक में एसडीएम शहरपुरा अनुराग सिंह, तहसीलदार पुष्पेंद्र पेंड्रे, सीईओ जनसद अरविन्द बोरकर सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर विकास मिश्रा ने पेयजल आपूर्ति के सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग अपने अपने कार्यालयों में पेयजल की व्यवस्था की जाँच कर लें जिससे आमजन और कर्मचारियों को समस्या ना हो, पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए चम्प और डच्यट की टीम संयुक्त समन्वय के साथ कार्य करें,

पेयजल संकट के सभी मुद्दों पर एसडीएम को सूचित कर त्वरित निपटान करें और तालाब क्षेत्रों की सफाई पर ध्यान दें। कलेक्टर ने नगर परिषद के प्रचलित कार्यों को बारिश आने के पहले पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। जिसमें सिवेल की सफाई मुख्य रूप से करवाए, मानसून के पूर्व पौधरोपण के लिए तैयारी रखें, और राजस्व टीम के साथ सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रचलित निर्माणधीन कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए और निर्माण कार्यों को तीव्रता से समय सीमा में पूरा करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बैठक में राजस्व के प्रचलित कार्यों पर चर्चा करते हुए लंबित कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर विकास मिश्रा ने

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति और स्वास्थ्य सेवा के सम्बन्ध में जानकारी ली, उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों की अव्यवस्थाओं को जल्दी से ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुपोषण को दूर करने का प्रयास संयुक्त रूप से करना है, इसलिए समस्त सौपचओ नीतिगत कार्य करें। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करें और सुनिश्चित करें कि दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य लाभ सभी को मिल सके। साथ ही एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था का जायजा भी निरंतर करते रहे और प्राथमिकता के सतब स्वास्थ्य में सुधार करें। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के लिए निर्देश दिए कि ब्लॉक मुख्यालय पर कैरियर काउंसलिंग केंद्र बनाकर बच्चों की अभिषमता

को समझें और उसी अनुसार उनका मार्गदर्शन कर भविष्य की नीति बनाये। उन्होंने 4 और 5 मई को आयोजित होने वाले पुस्तक मेला के लिए आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि स्कूलों में टेलीएजुकेशन के आधार पर दूरस्थ क्षेत्रों तक गुणवत्ता युक्त शिक्षा पहुंचाने के लिए कार्य करें और लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों में पढ़ाई के प्रति रूचि बढ़ाये। कलेक्टर ने ग्रीष्म ऋतु के दौरान होने वाले शार्ट सर्किट के मामलों पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिए जिससे आग लगने की सम्भावना से पहले ही बचा जा सके, इसके साथ ही एक्सिडेंट जोन पर ध्यान देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी को कार्य के सतब अपने स्वास्थ्य की देखभाल रखने के लिए कहा।

दोषी पाये गये प्रचार्य, दस माह बाद आई रिपोर्ट में खुलासा

शासन को प्रचार्य के विरुद्ध कार्यवाही के लिए भेजा जायेगा प्रस्ताव- कलेक्टर

डिंडोरी। एकलव्य आदर्ष आवासीय विद्युरालय डिण्डोरी के प्रचार्य एम के गवले के विरुद्ध छात्र-छात्राओं द्वारा पिछले वर्ष लगाये गए गंभीर आरोपों की जांच रिपोर्ट दस माह बाद आई। कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा इसकी पुष्टि करते हुए बताया गया कि जांच रिपोर्ट में प्रचार्य दोषी पाये गये हैं। प्रचार्य के विरुद्ध कार्यवाही के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में सत्र शुरू होने के दौरान ही स्कूल के सैकडो छात्र छात्राओं ने प्रचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए पैदल लंबी दूरी तक कर जिला मुख्यालय पहुंच गए थे। मामला तुल पकड़ने के बाद कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा जांच टीम बनाई गई लेकिन दस माह तक जांच रिपोर्ट ही अटकी रह गई। जांच टीम में शामिल अधिकारी डिटी कलेक्टर रजनी वर्मा का

कई माह पहले स्थानान्तरण भी हो चुका है। अब तक जांच रिपोर्ट कहा अटकी थी इस पर गई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गौरतलब है कि प्रचार्य द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच रिपोर्ट में प्रचार्य दोषी पाये गये हैं। प्रचार्य के विरुद्ध कार्यवाही के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में सत्र शुरू होने के दौरान ही स्कूल के सैकडो छात्र छात्राओं ने प्रचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए पैदल लंबी दूरी तक कर जिला मुख्यालय पहुंच गए थे। मामला तुल पकड़ने के बाद कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा जांच टीम बनाई गई लेकिन दस माह तक जांच रिपोर्ट ही अटकी रह गई। जांच टीम में शामिल अधिकारी डिटी कलेक्टर रजनी वर्मा का

कई माह पहले स्थानान्तरण भी हो चुका है। अब तक जांच रिपोर्ट कहा अटकी थी इस पर गई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गौरतलब है कि प्रचार्य द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच रिपोर्ट में प्रचार्य दोषी पाये गये हैं। प्रचार्य के विरुद्ध कार्यवाही के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में सत्र शुरू होने के दौरान ही स्कूल के सैकडो छात्र छात्राओं ने प्रचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए पैदल लंबी दूरी तक कर जिला मुख्यालय पहुंच गए थे। मामला तुल पकड़ने के बाद कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा जांच टीम बनाई गई लेकिन दस माह तक जांच रिपोर्ट ही अटकी रह गई। जांच टीम में शामिल अधिकारी डिटी कलेक्टर रजनी वर्मा का

गेहूँ उत्पादन की अवधि 15 मई से बढ़ाकर 20 मई 2024 तक की गई

हरिभूमि न्यूज डिंडोरी। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उत्पादन की अवधि 15 मई से बढ़ाकर 20 मई 2024 तक कर दी गई है। इस वर्ष गेहूँ का समर्थन मूल्य 2275/- प्रतिक्वटल के साथ 125 बोन्स प्रतिक्वटल पर है इस प्रकार 1 विक्टल गेहूँ उपज का कुल समर्थन मूल्य 2400/- प्रति विक्टल है। जिले में खरीदी केन्द्र 12 स्थापित किये गये हैं, जिनमें डिंडोरी, कुकरामद, समनापुर चादरानी, कोकोमटा, शाहपुर, अमरपुर, विपणन गोरखपुर, सुनपुरी, शहरपुरा, करमया तथा कठौतिया बजाये गये हैं। जिले में आज दिनांक 03.05.2024 को समग 6.30 बजे शाम की स्थिति में शहरपुरा केन्द्र में 129 किसान से 3847.50 किटन, बरगांव केन्द्र में 25 किसान से 1407 स्विटल, समनापुर केन्द्र में 1 किसान से अमरपुर केन्द्र में 120 किसान से 1977 विपटल कुकरामद केन्द्र में 2 किसान से 37 विपटल, विपणन गोरखपुर केन्द्र में 26 किसान से 933 विक्टल डिण्डोरी में किसान से 101 विक्टल तथा कठौतिया में 4 किसान से इस प्रकार कुल स्थापित 12 में 8 केन्द्रों में 313 कुल किसानों से 8303 विक्टल की हो सकी है।

17 हाई स्कूल और 7 हायर सेकेण्डरी में 30 फीसदी से भी कम रहा परीक्षा परिणाम स्टाफ की कमी

डिंडोरी
जिले में हायर सेकेण्डरी व हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम ने अभिभावकों को चैका दिया है। घोषित रिजल्ट के मुताबिक 10वीं का परीक्षा परिणाम 58 फीसदी और हायर सेकेण्डरी का परीक्षा परिणाम 60 फीसदी तक गिर गया है। स्थिति यह है कि जिले भर में 17 हाई स्कूलों के साथ 7 हायर सेकेण्डरी स्कूलों का रिजल्ट भी 30 फीसदी के आस पास रहा है। परीक्षा परिणामो पर नजर डाले तो ज्यादातर परीक्षार्थी अंग्रेजी और गणित विषयों में अनुत्तीण हुए हैं।

इन स्कूलों का रिजल्ट 30 फीसदी से कम रहा-
जिन हाई स्कूलों का रिजल्ट 30 फीसदी से कम रहा उनमें शाहपुर, भालापुरी, बजाग, अमरपुर, खुरखुरीदादर, चांदपुर,सक्का, सिधौली मोहगांव, पड़रिया कला, सेलवार,मोहनझिर माल ,चिचरिंगपुर, रुसा ,देवरीमाल,नुनखान, विक्रमपुर और अमरपुर शामिल हैं। इनमें सबसे खराब प्रदर्शन शासकीय हाईस्कूल अमरपुर का रहा है , यहां परीक्षा परिणाम 2.86 प्रतिशत ही रहा । वहीं जिले में सात हायर सेकेण्डरी स्कूलों का रिजल्ट भी 30 फीसदी से कम रहा। इनमें अमरपुर, पंडरीपानी ,उमरिया ,बालक विक्रमपुर,रुसा,सिधौली मोहगांव ,शाहपुर का रिजल्ट कम रहा जिनमें सबसे कम 8.77 फीसदी रिजल्ट शाहपुर का रहा।

जिले में 90 प्रतिशत के ऊपर रही स्कूल
जहा जिले में 17 हाई स्कूल और 7 हायर सेकेण्डरी स्कूलों का रिजल्ट 30 फीसदी से कम रहा तो वहीं जिले की 7 हायर सेकेण्डरी स्कूलों का रिजल्ट 90 प्रतिशत के ऊपर रहा इनमें गुतलवाह , बरगांव,शहपुरा, किसलपुरी, गौराकन्हारी, बम्हनी, रैयपुरा हायर सेकेण्डरी स्कूल रहे इनमें अधिक 100 प्रतिशत परिणाम के साथ जिले भर में गुतलवाह हायर सेकेण्डरी स्कूल रहा वहीं हाई स्कूल में 90 प्रतिशत आने वाली स्कूलों में शहपुरा,बिलगांव,रैयपुरा,सरई ,डिंडोरी, शहपुरा, मुसामुंडी, किसलपुरी रहे, इनमें दो हाई स्कूलों का रिजल्ट 100 फीसदी रहा जिनमें शहपुरा और बिलगांव है।

इन कारणों से परिणाम आया कम-
जिले भर के हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों के परीक्षा परिणाम कम आने का विभाग द्वारा दलील दी जा रही है की जिले में शिक्षा विभाग में स्टाप की कमी के कारण यह रिजल्ट कम आए है इसके अलावा अतिथि शिक्षक भी पर्याप्त नहीं है खासतौर पर अंग्रेजी और गणित विषय के अतिथि शिक्षक जिले में नहीं मिल पा रहे हैं जिसके कारण इस वर्ष परिणामो में गिरावट आई है । इसके अलावा कमजोर छात्रों को पढ़ाने के लिए लगाई गई अतिरिक्त कक्षाएं औपचारिक रही उनमें शिक्षकों ने वीक छात्रों को अच्छे से नहीं पढ़ाया इसके अलावा विभाग के अधिकारियों द्वारा संचालित अतिरिक्त कक्षाओं का समय समय पर निरीक्षण नहीं किया गया जिसके कारण भी परीक्षा परिणामो में गिरावट आई है।

इनका कहना.....
परीक्षा परिणामो में कमी आने का कारण शिक्षक में स्टाप की कमी है हमारे जिले में विषय वार शिक्षक नहीं है वहीं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी और गणित के अतिथि शिक्षक भी नहीं मिलते जिसके कारण रिजल्ट में गिरावट आई है।
-रती सिंह सेन्द्रम जिला शिक्षा अधिकारी

खबर संक्षेप

आज मनाई जावेगी भगवान सेन जी महाराज की जयंती



हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर । सेन समाज के आराध्य संत शिरोमणि भगवान सेन जी महाराज की जयंती 5 मई रविवार को स्थानीय सदर मढ़िया प्रांगण में मनाई जावेगी। आयोजन समीति द्वारा बताया गया कि प्रातः 10 बजे नगर के विभिन्न मांगों से भगवान सेन जी महाराज की भव्य शोभायात्रा निकाली जावेगी उसके उपरांत चालीसा पाठ व हवन-पूजन तथा अतिथि उद्घोषण, मेधावी छात्र-छात्राओं और नगर के गणमान्य नागरिकों का सम्मान किया जावेगा। सेन समाज अध्यक्ष प्रदीप सेन द्वारा बताया गया कि सेन जयंती के अवसर पर समस्त स्वजातीय बंधुओं द्वारा अपने प्रतिष्ठान बंद रखे जावेगें एवं कार्यक्रम में उपस्थित होने की अपील की गई है।

ट्रेक्टर पलटने से युवक की मौत

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर । गत दिवस खेत में ट्रेक्टर चला रहे रहे युवक की ट्रेक्टर पलटने से मौत हो गई। उक्त संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रामनाथ पिता होती लाल पटेल उम्र 35 वर्ष निवासी छत्रपुर थाना तेंदूखेड़ा अपने खेत में ट्रेक्टर से दवाई छिड़काव कर रहा था तभी अचानक ट्रेक्टर पलट गया जिसे स्थानीय लोगों द्वारा निकाला गया और परिजनों को जानकारी दी गई जिसे परिजनों द्वारा उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया जहां पर डाक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का परीक्षण कराकर परिजनों को सौंप दिया।

जहरीली वस्तु के सेवन से युवक की मौत

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर । गत दिवस अज्ञात कारणों से जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र गोटगांव के देव मुखर्जी वार्ड निवासी नीतेश पिता किशोरी लाल जोगी उम्र 35 वर्ष द्वारा घर पर अज्ञात कारणों से जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया जिसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया जहां पर परीक्षण के दौरान डाक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्ग पंचनामा तैयार कर शव का परीक्षण कराकर परिजनों को सौंप दिया।

प्रतीक्षालय में व्यक्ति ने लगाई फांसी, मौत

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर । जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर स्टेशनगंज थाना अंतर्गत आने वाली दादा महाराज कालोनी परिसर में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक मुकेश पिता रमेश मेहरा बरगी जबलपुर का निवासी है। जो अपनी ससुराल मऊ थाना चीचली में रहा था वही कुछ दिन पहले उसका ट्रेन दुर्घटना में पैर कट गया था। जिसका इलाज जबलपुर अस्पताल में किया जा रहा था वही उसने दादा महाराज कालोनी परिसर के पास बने प्रतीक्षालय में फांसी के फन्दे से लटक मिला वही परिजनों को सूचना मिलने और वह पहुंचे और पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही कर मर्ग प्रकरण कायम कर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा।

मारपीट करने वाले आरोपी को सजा

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर । न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भारत सिंह रघुवंशी के न्यायालय द्वारा आरोपी रोशन सिंह राजपूत, आत्मज रतिराम राजपूत, उम्र 50 वर्ष, निवासी-देवनगर, थाना मुंगवानी, जिला नरसिंहपुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 294 में 15 दिवस का सश्रम कारावास एवं 500/- का अर्थदंड, धारा-324 में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500/-रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है।

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर । शानवार को न्यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ श्रीमती अंजली पारे के न्यायालय द्वारा नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के प्रकरणों में दोनो आरोपियों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा जुर्माना किया गया। अभियोजन में बताया गया है कि दोनो आरोपियों द्वारा एक साथ एक ही स्थान पर दुष्कर्म की घटना का अंजाम दिया गया। किशोरियों द्वारा परिजनों के साथ थाना गाडरवारा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिस पर न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया। अभियोजन में बताया गई कहानी के अनुसार दोनो आरोपी एक ही समाज के है तथा एक दिन एक ही स्थान पर घटनाकारित की गई जिससे प्रतीत होता है कि आरोपी लंबे समय से प्लान कर रहे होंगे।

शादी समारोह में गई थी किशोरी

अभियोजन में बताया गई कहानी के अनुसार अभियोजन में बताया गई कहानी के अनुसार

किशोरा अपन पारजना के साथ शादी समारोह में गई हुई था तथा बारात घर में बने बाथरूम गई तभी दोनो आरोपियों द्वारा किशोरियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। किशोरियों की चीख पुकार सुनकर परिजन आये और लात मारकर दरवाजा तोड़ा गया और आरोपी भाग गये। तब किशोरियों द्वारा घटना की पूरी बात परिजनों को बताई गई और उनके साथ रिपोर्ट दर्ज कराने थाना पहुंची। उक्त घटना की कहानी के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपियों द्वारा प्लानिंग कर शादी में आये और उक्त घटना को अंजाम दिया गया।

अलग - अलग दर्ज हुये मामले

अभियोजन में बताया गई कहानी के अनुसार



आयु 18 वर्ष निवासी ग्राम इमलिया (पिपरिया), थाना चीचली जिला नरसिंहपुर पर अपराध क्रमांक 583/2022 पर संहिता की धारा 376(1), 342 एवं अधिनियम 2012 की धारा 3, 4 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की जाकर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को

भादाव को धारा- 342 म 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपए जुमाना एवं धारा-3/4 पाकसों एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000/- जुमाना से दंडित किया गया। वही दूसरे मामले अभियोजन की रिपोर्ट पर आरोपी प्रमोद साहू, आत्मज कोमल साहू आयु 28 वर्ष निवासी ग्राम इमलिया (पिपरिया), थाना चीचली जिला नरसिंहपुर अपराध क्रमांक 582/2022 पर संहिता की धारा 376(1), 342 एवं अधिनियम 2012 की धारा 3, 4 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की जाकर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों को भादाव की धारा-342 में 03 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपए जुमाना एवं धारा-3/4 पाकसों एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000/- जुमाना से दंडित किया गया।

दस्तावेजों को किया परीक्षण

अनुसंधान के अगामी प्रक्रम पर अभियोजन एवं अन्य साक्ष्य के कथन लेखबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं अन्य आवश्यक अन्वेषण एवं कार्यवाही उपरांत अभियोजन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य जिसमें पीडिता तथा माता-पिता ने घटना का समर्थन किया हुआ है तथा न्यायालय में प्रस्तुत चिकीत्सीय दस्तावेज एवं प्रधान पाठक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुये आरोपी को दोषसिद्ध पाकर न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर के मार्गदर्शन में, विशेष लोक अभियोजक श्रीमती संगीता दुबे द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई।

रेत खदानों के लिए लोक सुनवाई प्रस्तावित

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर । मसस द एम्पाई स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को स्वीकृत 10 रेत खदानों के लिए पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई पात्रता अनुसार संदर्भित नोटिफिकेशन के परिपेक्ष्य में कराई जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आंकलन के अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर व गाडरवारा की अध्यक्षता एवं प्रसूण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि की उपस्थिति में यह लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई है। जिले की तहसील नरसिंहपुर के अंतर्गत ग्राम करहेया के खसरा क्रमांक 1,113 रकबा 10.063 हे. में उत्पादित क्षमता 1,13,400 घनमीटर के लिए लोक सुनवाई 21 मई को ग्राम पंचायत भवन करहेया में प्रातः 11 बजे से दोपहर 12 बजे और ग्राम घाटपिपरिया के खसरा क्रमांक 1/1 रकबा 7.000 हे. में उत्पादित क्षमता 1,13,400 घनमीटर के लिए लोक सुनवाई 21 मई को ग्राम पंचायत भवन घाटपिपरिया में दोपहर 1 बजे से

दोपहर 2 बजे तक लोक सुनवाई की जायेगी। इसी तरह जिले की तहसील साईंखेड़ा के अंतर्गत ग्राम मेहरागांव के खसरा क्रमांक 380 रकबा 20.000 हे. में उत्पादित क्षमता 3,24,000 घनमीटर के लिए लोक सुनवाई 22 मई को ग्राम पंचायत भवन मेहरागांव में प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक, ग्राम संसारखेड़ा- 1 के खसरा क्रमांक 208/1, 208/2 रकबा 13.000 हे. में उत्पादित क्षमता 2,10,600 घनमीटर के लिए लोक सुनवाई 22 मई को ग्राम पंचायत भवन झिकोली में प्रातः 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, ग्राम अजंदा- 1 के खसरा क्रमांक 39/1 रकबा 4.00 हे. में उत्पादित क्षमता 64,800 घनमीटर के लिए लोक सुनवाई 22 मई को ग्राम पंचायत भवन अजंदा में दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक, ग्राम अजंदा- 2 के खसरा क्रमांक 263/2 व 263/1 रकबा 15.00 हे. में उत्पादित क्षमता 1,62,000 घनमीटर के लिए लोक सुनवाई 22 मई को ग्राम पंचायत भवन अजंदा में दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक और ग्राम खिरिया के खसरा क्रमांक 21/1 रकबा 4.00 हे. में उत्पादित

क्षमता 64,800 घनमीटर के लिए लोक सुनवाई 23 मई को ग्राम पंचायत भवन खिरिया में प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक लोक सुनवाई की जायेगी। जिले की तहसील गाडरवारा के अंतर्गत ग्राम चिरहकला के खसरा क्रमांक 493 रकबा 5.00 हे. में उत्पादित क्षमता 81,000 घनमीटर के लिए लोक सुनवाई 23 मई को ग्राम पंचायत भवन चिरहकला में प्रातः 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, ग्राम घूरपुर के खसरा क्रमांक 163,166 रकबा 7.330 हे. में उत्पादित क्षमता 1,18,746 घनमीटर के लिए लोक सुनवाई 23 मई को ग्राम पंचायत भवन कजरौटा में दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक और ग्राम पनागर- 1 के खसरा क्रमांक 305 रकबा 5.00 हे. में उत्पादित क्षमता 81,000 घनमीटर के लिए लोक सुनवाई 23 मई को ग्राम पंचायत भवन पनागर में शाम 4 बजे से शाम 5 बजे तक लोक सुनवाई की जायेगी। इस संबंध में अपर कलेक्टर ने उक्त रेत खदानों की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये निर्धारित स्थानों, दिनांक एवं समय पर सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित की जाती है।

15 दिवसीय योग प्रशिक्षण समर कैंप का आयोजन

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर ।

लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जारी आदेश के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी एचपी कुर्मी व एडीपीसी रमसा अनिल व्योहार के मार्गदर्शन में उत्कृष्ट विद्यालय नरसिंहपुर में 15 दिवसीय योग प्रशिक्षण समर कैंप का आयोजन असेम्बली हाल नरसिंहपुर में किया जा रहा है। समर कैंप का शुभारंभ उत्कृष्ट प्राचार्य जीएस पटेल, जिला योग प्रभारी देवेन्द्र कुमार दिमोले, जिला योग समिति के अध्यक्ष एसके चतुर्वेदी, डॉ. अंजिता वर्मा, श्रीमती शिखा ठाकुर एवं प्रभात राय की उपस्थिति में किया गया। यह समर कैंप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 8 बजे तक योग प्रशिक्षण एवं ध्यान प्रशिक्षण प्रदान किया



जा रहा है। योग गतिविधियों में योग प्रशिक्षक देवेन्द्र कुमार दिमोले के द्वारा योगिक प्रार्थना तथा विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, आसन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। योग से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताईं और श्रीमती शिखा ठाकुर द्वारा ध्यान

का अभ्यास कराया गया। शांति पाठ के द्वारा योग क्लास का समापन किया गया। अंत में उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य श्री पटेल ने योग का महत्व बताया। प्रथम दिवस 60 प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें शिक्षक, छात्र- छात्राएं एवं अन्य नागरिक मौजूद थे।

महाआरती व श्याम संकीर्तन का भव्य आयोजन आज



हरिभूमि न्यूज - करेली । हारे के सहारे श्री भगवान खाटूश्यामजी की आज 05 मई रविवार वैशाख कृष्ण एकादशी उत्सव पर श्री खाटूश्याम फोटो स्वरूप स्थापना महोत्सव महाआरती एवं श्री श्याम संकीर्तन का भव्य आयोजन श्री खाटूश्याम मंदिर नये बस स्टैंड के पास तुलसी नगर करेली में आयोजित है। श्री श्याम सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि नरसिंहपुर जिले के प्रथम खाटू श्याम मंदिर में बाबा श्याम के फोटो स्वरूप की स्थापना हो रही है तो संकीर्तन में रात्रि 8 बजे बाबा श्याम की ज्योत प्रचलित होगी। साथ ही संगीतमय श्री श्याम भजन संकीर्तन में प्रसिद्ध गायिका श्री श्याम लाडली सुश्री यशो चौरसिया, श्री श्याम लाडले सरदार गगन दीप सिंह 'हर्ष' एवं टीम करेली द्वारा बाबा श्याम के भजन कीर्तन होंगे। मनीष कोरी एंड कंपनी द्वारा राधा कृष्ण नृत्य की मनमोहक शानदार प्रस्तुतियां दी जायेगी। ठीक रात्रि 12 बजे महाआरती होगी। सभी श्याम प्रेमियों से महोत्सव में सम्मिलित होने का आग्रह श्री श्याम सेवा समिति ने किया है।

एक दिन एक रोड अभियान के तहत पुलिस ने काटे 194 लोगों के चालान

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर। गत दिवस पुलिस द्वारा चलाये जा रहे एक दिन एक रोड अभियान के तहत नियम विरुद्ध, शराब पीकर, तेज गति से वाहन चलाने वालों 194 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई तथा रोड पर दुकान लगाकर यातायात बाधित करने वालों समझाइस दी गई। मुख्य नगरीय एवं व्यस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था में सुधार लाने एवं यातायात बाधित करने वाले दुकानदार, हाथ डेले एवं नियम विरुद्ध वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करना है ताकि आमजन को असुविधा का सामना न करना पड़े साथ ही जिले में घटित होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। चलाए जा रहे अभियान एक दिन एक रोड के तहत यातायात पुलिस नरसिंहपुर एवं स्थानीय थाना पुलिस टीमों द्वारा जिले के मुख्य नगरीय क्षेत्रों



में कार्यवाही करते हुए ऐसे दुकानदार जो अपनी दुकान का सामान रोड पर रखकर यातायात बाधित करते हैं एवं हाथ डेले वाले दुकानदारों को निर्धारित स्थान पर लगवाया

गया एवं भविष्य में रोड पर दुकान न लगाने की हिदायत दी गयी साथ ही चेतावनी दी गयी कि आपके द्वारा पुनः नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो आपके विरुद्ध चालानी कार्यवाही

की जावेगी। उल्लेखनीय है कि जिले में यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में एक दिन एक रोड अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है एवं नियम विरुद्ध वाहन चलाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में विगत 4 दिनों में यातायात पुलिस द्वारा 82 जिना हेलमेट वाहन चलाने वाले, 14 बिना सीट बेल्ट वाले, 2 तेज गति से वाहन चलाने वाले, 2 तेज आबाज सायलेन्सर, एवं 6 अन्य धाराओं के चालान काटे गये इस प्रकार यातायात पुलिस एवं अन्य थानों द्वारा कार्यवाही करते हुये विगत 4 दिनों में 194 चालान काटे गए जिनसे 67700 रुपए समन शुल्क वसूल किया गया है।

स्ट्रॉंग रूम सुरक्षा के हेतु अधिकारियों की लगाई ड्यूटी

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर । लोकसभा निर्वाचन- 2024 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 26 अप्रैल को मतदान समाप्त के पश्चात ईन्जीएम/ व्हील्डोपीएटी कृषि उपज मंडी नरसिंहपुर में स्थापित स्ट्रॉंग रूम में सुरक्षित रखे जाने एवं स्ट्रॉंग रूम सील हो जाने के पश्चात मतगणना 4 जून तक स्ट्रॉंग रूम के बाहर एवं मंडी परिसर में 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राजपत्रित/ कार्यपालिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शीतला पटेल ने पूर्व में जारी आदेश को संशोधन कर नवीन संशोधित आदेश जारी किया है। उक्त दल निर्धारित ड्यूटी दिनांक व समय पर कृषि उपज मंडी नरसिंहपुर में बनाये गये

स्ट्रॉंग रूम स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपने दायित्व का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे। स्ट्रॉंग रूम के बाहर संचारित उपस्थिति लागू न हो सके। प्रभारी अधिकारी निगरानी/ सुरक्षा निर्धारित ड्यूटी के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कृषि उपज मंडी परिसर में अनाधिकृत व्यक्ति/ बिना परिचय पत्र के प्रवेश न करें। प्रभारी अधिकारी निगरानी/ सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित ड्यूटी के अनुसार समय पूर्ण होने के पश्चात अगले प्रभारी अधिकारी निगरानी/ सुरक्षा के ड्यूटी में उपस्थित होने के पश्चात ही परिसर से बाहर निकलेंगे। उक्त दल डिप्टी कलेक्टर मनोज कुमार चौरसिया के निंत्रण एवं पर्यवेक्षण में अपना कार्य समाप्त करेंगे।

बाल विवाह रोकने दी जा रही समझाईश

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर । जिले में विदिशा सोशल वेलफेयर आगेनेइजेशन एक्सेस टू जस्टिस फेस 2 के द्वारा चलाए जा रहे बाल विवाह रोकने अभियान के तहत परियोजना के अंतर्गत कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्रामों में भ्रमण कर ऐसे परिवारों की जानकारी ली जा रही जिन्होंने अपने नाबालिक बच्चों की शादी तय कर दी एवं शादी हेतु तैयारी की जा रही, ऐसे विन्धित परिवारों को आंगनबाड़ी एवं आशा



कार्यकर्ताओं के साथ जा कर संपर्क किया जा रहा है एवं परिवार

जनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे बताया जा रहा जिससे उक्त परिवार द्वारा अपने लड़के एवं लड़कियों की सादी बालिक होने पर की जाए इसके लिए उनसे बाल विवाह न करने का वचन भी लिया जा रहा है।जिला प्रभारी गणेश कुशवाहा और उनकी टीम द्वारा बाल विवाह न करने की समझाइश दी तथा सही उम्र में शादी करने हेतु बालिका की आयु 18 वर्ष से अधिक व बालक की आयु 21 वर्ष तक हो।

गांव गांव पहुंच रही मातृ शक्ति श्रद्धा संवर्धन रथ यात्रा

तेंदूखेड़ा- शांति कुंज हरिद्वार के दिशा निर्देशन में मध्यप्रदेश जौन के हर एक जिले में मातृ शक्ति श्रद्धा संवर्धन रथ यात्रा अलग अलग तहसीलों में प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंच रही है।जिला समन्वयक वृंदावन पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में चार रथ यात्रा का कार्य पूर्ण कर रहे हैं। नरसिंहपुर गोटगांव तहसील के लिए रथ क्रमांक 122 अविनाश बेलाकर व परिवाजक यशवंत सिंह लोधी गोविंद नेमा रामनरयण लोधी मुकेश पटेल तहसील करेली के लिए रथ क्रमांक 211 रामनारायण कोरव अवधेश कोरव डालचंद सनेदिया रथ तहसील तेंदूखेड़ा के लिए रथ क्रमांक 212 वीरेंद्र सिंह पटेल श्रीकांत गुप्ता हरिओम वर्मा रामकुमार ठाकुर नारायण सिंह पटेल भोजराज बडकुर भैरव पटेल काशीराम पटेल मूलचंद पटेल रामकिशन पटेल झरका पटेल निरंजयाम पटेल मूपेंद्र पटेल तहसील गाडरवारा साईंखेड़ा के लिए रथ क्रमांक 213 विनोद श्रीवास्तव केशव प्रसाद पटेल राजेश कोरव गीताप्रसाद कोरव पंडित जगदीश प्रसाद दुबे सत्यनारायण मुकुंदम आर पी सिंह संचालन कर रहे हैं। गोटगांव साईंखेड़ा को छोड़कर बाकी तहसील लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है। आगामी 10 मई तक सभी पंचायतों तक पहुंचने का लक्ष्य है। यात्रा में हर पंचायत में उत्साह पूर्वक लोग रथ में स्थापित कलाश पूजन कर रहे हैं।श्रीधाम गमों में यात्रा में सहयोग करने वाले सभी परिजनों का जिला समन्वयक वृंदावन पटेल मुख्य दर्स्टी शक्ति पीठ नरसिंहपुर थंमनसिंह शर्मा आचार्य सहजयक दर्स्टी नरसिंहपुर प्रमोचंद शक्य मुख्य दर्स्टी शक्ति पीठ गाडरवारा आर पी सिंह मीडिया प्रमोचंद बलरत्न नमदेवे ने आभार व्यक्त किया है।

ढाई किलोमीटर दूर से पानी लाकर आदिवासी ग्राम हिलवार की बुझाई जा रही प्यास

गीषण गर्मी में होती थी परेशानी

तेंदूखेड़ा- चांवरपाटा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले आदिवासी ग्राम हिलवार में पानी की समस्या काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है। स्थानीय स्तर पर अनेकों प्रयास किये जाने के बावजूद भी पानी नसीब नहीं हो पा रहा। ग्रामों का मौसम आते ही यहां के हंडैप पानी की जगह हवा उगलने लगते थे। यहां के वांशिदे एक से दो तीन किलोमीटर दूर से साइकिलों या गाड़ी बेल के माध्यम से पीने और किस्तर का पानी टोकर लाया करते थे। यहां तक कि जल स्रोतों के समीप पहुंचे वही किस्तर करके पानीशियों को पानी पिलाने से लेकर महिलाएं सिर पर पानी टोकर लाती थीं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को अपनी मजदूरी की विला के साथ पानी की ज्यादा विला नहीं रहती थी। अनेकों प्रयत्नों के बावजूद हिलवार से लगभग ढाई किलोमीटर दूर एक खेत से जहां पानी की पर्याप्तता है वहां से विद्युत मोटरों के माध्यम से अलग-अलग स्टाप बना कर विद्युत मोटरों से पानी खींच कर उलट कहीं पानी पहुंचाना प्रारंभ हुआ है। लेकिन अभी कहीं कहीं लीकेज होने के कारण सही तरीके से पानी ना पहुंचने की स्थिति में पुनः धुंधल कार्य करके ग्रामीणों की प्यास बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं।इस संबंध में ग्राम सरपंच का कहना है कि अभी उनके द्वारा इस योजना को अपने हैंडओवर नहीं लिया है।जब तक पूर्ण रूप से गांव के प्रत्येक घर में पानी नहीं पहुंच जाता तब तक संतुष्ट नहीं होंगे। वहीं पी एच डी विभाग के एस डी ओ एन के दुबे का कहना है कि इस योजना में पूर्व में 45.50 लाख की



लागत आंकी गई थी लेकिन बाद में दूरी के मां से ज्यादा खर्च हो जाने की स्थिति में इसका 85.64 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है।ढाई किलोमीटर दूर से पानी तीन शिफ्टों में लाया जा रहा है। कहीं कहीं लीकेज की स्थिति को देखते हुए संबंधित ठेकेदार से उसे ठीक करवाया जा रहा है। फिलहाल एक सी परिवारों तक पानी पहुंचने लगा है। पानी के नाम पर करोड़ों बह गये पानी की तरह आदिवासी ग्राम हिलवार स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय

108 जोड़ों का विवाह 10 को

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर । नरसिंहपुर प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन जन की आस्था और श्रद्धा के केंद्र दादा दूल्हा देव महाराज के आशीर्वाद से मंदिर ट्रस्ट समिति डोकरघाट द्वारा 108 जोड़ों के विवाह करने हेतु आयोजन किया जा रहा है। पावन दिवस अक्षय तृतीया 10 मई को प्रातः शुभ मुहूर्त में 10 बजे से 30 अप्रैल तक पंजीकृत 108 जोड़ी दूल्हा दुल्हन का सनातन हिंदू पद्धति से गायत्री परिवार द्वारा सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा।इस हेतु व्यापक तैयारिया समिति एवं सहयोगी संगठनों सहित दादा के भक्त परिवारों द्वारा की जा रही है। व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन हेतु 6 मई शाम 5 बजे दादा महाजन मंदिर में बैठक आयोजित की गई है।

108 जोड़ों का विवाह 10 को

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर । नरसिंहपुर प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन जन की आस्था और श्रद्धा के केंद्र दादा दूल्हा देव महाराज के आशीर्वाद से मंदिर ट्रस्ट समिति डोकरघाट द्वारा 108 जोड़ों के विवाह करने हेतु आयोजन किया जा रहा है। पावन दिवस अक्षय तृतीया 10 मई को प्रातः शुभ मुहूर्त में 10 बजे से 30 अप्रैल तक पंजीकृत 108 जोड़ी दूल्हा दुल्हन का सनातन हिंदू पद्धति से गायत्री परिवार द्वारा सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा।इस हेतु व्यापक तैयारिया समिति एवं सहयोगी संगठनों सहित दादा के भक्त परिवारों द्वारा की जा रही है। व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन हेतु 6 मई शाम 5 बजे दादा महाजन मंदिर में बैठक आयोजित की गई है।